सोशल मीडिया से जुड़ें

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

वर्ष 04, अंक 214, नई दिल्ली, रविवार 08 नवम्बर 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र



03 मिट्टी के दीपों से मन की रोशनी तक:

06 गौतमपुरी मार्केट में कथित एक्सपायरी घोटाला - डिस्काउंट के नाम पर..

08 दीपावली 2026 का वैश्विक महाकुंभ - माँ लक्ष्मी का पृथ्वी पर भ्रमण...

परिवहन विशेष समाचार पत्र को जिस तरह आप लोगों के सहयोग लगातार पिछले 3 वर्षों से प्राप्त हुआ और दिन प्रतिदिन आपकी आवाज को आगे पहुंचाने में आपका सहयोगी बना उसको देखते हुए परिवहन विशेष समाचार पत्र के प्रबंधक मंडल और ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज लिमिटेड कंपनी द्वारा जनहित, जनकल्याण जनसूचना और जानकारी को और तेजी से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ सभी राजनीतिक संगठनों को सबसे पहले पहुंचाने के उद्देश्य से अक्टूबर माह से जनता की आवाज का अपना चैनल "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" शुरु करने का निर्णय लिया है।

जल्द आपके बीच में....

परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन

बड़ी खुशखबरी! अब आपकी आवाज गूंजेगी पूरी दुनिया में
परिवहन विशेष समाचार पत्र के सफल 3 वर्षों के बाद अब नई क्रांति

आशा करते हैं जैसे आपने आज के इस दौर मे "परिवहन विशेष समाचार पत्रों" को इतना आगे ले कर जाने में सहयोग दिया उसी प्रकार हमारे द्वारा आपकी आवाज बनने के लिए शुरु किए जा रहे "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" को विश्व का सबसे बड़ा चैनल बनवाएंगे।

संजय बाठला
मुख्य संपादक

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - विशेष संपादकीय / जनहित जांच / सड़क सुरक्षा विशेष

अवैध ई-स्कूटरों की बिक्री से जनता पर मंडराया कानूनी खतरा - बिना RC 25 km/h से तेज वाहन बेचना भारी धोखाधड़ी, ₹13,000 तक जुर्माना और जेल का प्रावधान

डीलर की स्पीड लिमिट हटाने वाली चाल, ग्राहक की जेब, लाइसेंस और घर-जमीन – तीनों दांव पर | CMVR नियम 2(u), मोटर वाहन अधिनियम, MoRTH की राजपत्रित अधिसूचनाएं, न्यायिक आदेश और उपभोक्ता कानून का विस्तृत विश्लेषण

रिपोर्ट अशोक नारंग विश्लेषक:- संजय कुमार बाठला

नईदिल्ली - बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बढ़ती मांग के बीच एक बहुत बड़ा और चिंताजनक घोटाला सामने आ रहा है। कई वाहन डीलर चंद रुपयों के मुनाफे के लिए आम नागरिकों को गुमराह कर बिना RC (रजिस्ट्रेशन) और बिना लाइसेंस के ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटी धड़ल्ले से बेच रहे हैं, जिनकी रफ्तार कानूनन तय सीमा से कहीं अधिक है। इस गंभीर और संवेदनशील विषय पर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के रिसोर्स पर्सन डॉ. प्रदीप लौरा ने आम जनता के लिए एक बड़ी चेतावनी और कानूनी गाइडलाइन जारी की है।

संपादकीय स्पष्टीकरण: यह लेख किसी एक डीलर / ब्रांड को दोषी ठहराने के लिए नहीं है। आरोपों की जांच, प्रमाण और अदालत का फैसला ही अंतिम होगा। हमारा उद्देश्य है - जनता को कानून समझाना, ठगी से बचाना और प्रशासन को कार्रवाई के लिए जगाना।

तथ्य एक नज़र में - बिंदु - विवरण

मुद्दा बिना RC, बिना लाइसेंस, 25 km/h से तेज ई-स्कूटर की बिक्री

कानूनी छूट की सीमा CMVR नियम 2(u) - 25 km/h से कम स्पीड + 250W से कम मोटर (30 मिनट पावर) + 60 kg तक अनलेडन वजन

आरोपित चाल स्पीड लिमिट सेटिंग हटाकर 40-50 km/h तक दौड़ाना, 'नो-RTO' बताकर बेचना

संयुक्त चालान का खतरा ₹13,000 तक जुर्माना + वाहन जब्ती + जेल का प्रावधान

सबसे बड़ा खतरा एक्सीडेंट पर थर्ड-पार्टी बीमा नहीं, मुआवजा निजी संपत्ति से वसूलने का आदेश

चेतावनी डॉ. प्रदीप लौरा, रिसोर्स पर्सन, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

बचाव लिखित प्रमाण, ICAT / ARAI सर्टिफिकेट, पक्का GST बिल, चेसिस जांच

मुख्य बिंदु

1. छूट सिर्फ 2 शर्तों पर है - दोनों एक साथ पूरी होनी चाहिए स्पीड 25 km/h से कम और मोटर 250W से कम। एक भी शर्त टूटी तो वाहन मोटर वाहन बन जाता है।

2. स्पीड लिमिट हटाना ही अपराध की जड़ है सॉफ्टवेयर से स्पीड मोड बदलना, लिमिटर हटाना, कंट्रोलर बदलना - यह वाहन की मूल प्रमाणित संरचना से छेड़छाड़ है।

3. पकड़े जाने पर एक नहीं, 4-5 धाराएं एक साथ लगेंगी RC, लाइसेंस, बीमा, हेलमेट - सबका अलग चालान। कुल ₹13,000 तक का जुर्माना।

4. चालान से बड़ा खतरा - एक्सीडेंट का मुआवजा बिना RC वाहन का कानूनी थर्ड-पार्टी बीमा नहीं होता। MACT का लाखों-करोड़ों का मुआवजा मालिक की निजी संपत्ति से वसूला जा सकता है।

5. डीलर पर धोखाधड़ी, जालसाजी और उपभोक्ता कानून - तीनों लगेंगे BNS की धारा 318, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 89-91, और मोटर वाहन अधिनियम की धाराएं।

स्पीड लिमिट हटाकर ग्राहकों को फंसा रहे डीलर: केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) के नियम 2(u) के अनुसार, केवल उन्हीं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को RC, नंबर प्लेट तथा ड्राइविंग लाइसेंस से छूट प्राप्त है जिनकी अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा और मोटर क्षमता 250 वॉट तक सीमित है।

परंतु, कुछ अनैतिक डीलर गाड़ियों की स्पीड लिमिट सेटिंग को अवैध रूप से हटा देते हैं, जिससे गाड़ी 40 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ने लगती है। डीलर इसे 'नो-RTO' बताकर ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। ग्राहक इसे सस्ता और झंझट-मुक्त समझकर खरीद तो लेते हैं, लेकिन सड़क पर उतरते ही वे कानून की नजर में गंभीर अपराधी बन जाते हैं।

सड़क पर उतरते ही होगी सख्त कार्रवाई; ये हैं कानूनी धाराएं: यदि आप 25 किमी/घंटा से अधिक रफ्तार वाली स्कूटी बिना RC के सड़क पर चलाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के तहत आपकी गाड़ी को धारा 207 के तहत तुरंत जब्त कर सकती है और निम्नलिखित धाराओं में संयुक्त चालान काट सकती है:

- धारा 192 (बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाना): ₹2,000 से ₹5,000 तक का जुर्माना।
- धारा 181 (बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना): ₹5,000 का सीधा चालान।
- धारा 196 (बिना थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस): ₹2,000 का जुर्माना या 3 महीने की जेल।
- धारा 194D (बिना हेलमेट दोपहिया चलाना): ₹1,000 का चालान और लाइसेंस निलंबन।

सबसे बड़ा जोखिम: एक्सीडेंट होने पर घर-जमीन बिकने की नौबत

>"लोग केवल चालान के डर को देखते हैं, जबकि सबसे बड़ा खतरा दुर्घटना की स्थिति में है। बिना RC वाली इन अवैध गाड़ियों का कोई कानूनी थर्ड-पार्टी बीमा नहीं होता। यदि सड़क पर कोई हादसा हो जाता है और किसी को चोट लगती है, तो पीड़ित पक्ष को मिलने वाला लाखों-करोड़ों रुपये का मुआवजा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सीधे वाहन मालिक की निजी संपत्ति से वसूलने का आदेश देगा। डीलर के एक झूठ के कारण पूरा परिवार सड़क पर आ सकता है।"

उपभोक्ता जागरूकता गाइड: 4 अचूक सलाह

1. मौखिक दावों पर कभी भरोसा न करें: यदि डीलर कहता है कि गाड़ी के लिए RC की जरूरत नहीं है, तो उससे शोरूम के लेटरहेड पर आधिकारिक स्टांप और हस्ताक्षर के साथ यह बात लिखित में मांगें।

2. ICAT / ARAI सर्टिफिकेट की जांच करें: वाहन खरीदने से पहले सरकार द्वारा प्रमाणित ICAT या ARAI का टेस्टिंग सर्टिफिकेट मांगें। सुनिश्चित करें कि उसमें दर्ज चेसिस नंबर और टॉप स्पीड (25 km/h) आपके वाहन से मेल खाती हो।

3. पक्का GST बिल अनिवार्य है: बिना पक्के इनवॉइस के कोई भी ई-स्कूटी न खरीदें। बिल पर मोटर की क्षमता (Watts) और वाहन की श्रेणी स्पष्ट लिखी होनी चाहिए।

4. धोखाधड़ी होने पर तुरंत करें शिकायत: यदि किसी डीलर ने आपको 40 km/h की गाड़ी बिना RC की कहकर बेच दी है, तो खुद को सुरक्षित करने के लिए तुरंत जिला उपभोक्ता फोरम (Consumer Court) और स्थानीय पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी (BNS की संबंधित धाराओं) के तहत शिकायत दर्ज कराएं।

>"कानून का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। चंद रुपयों का टैक्स बचाने या डीलरों के झूठे झांसे में आकर अपने परिवार के भविष्य और जीवन को कानूनी लफड़ों में न डालें। सजग रहें, सुरक्षित रहें।"

भाग 1 - विस्तृत कानूनी विश्लेषण: CMVR नियम 2(u) क्या कहता है?

मूल नियम - केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989: नियम 2(u) के तहत दोपहिया बैटरी चालित वाहन को मोटर वाहन नहीं माना जाएगा, यदि:

- इलेक्ट्रिक मोटर की 30 मिनट की शक्ति 0.25 kW (250W) से कम हो
- अधिकतम गति 25 km/h से कम हो
- वाहन में ब्रेक, रिफ्लेक्टर आदि हों
- अनलेडन वजन (बिना बैटरी) 60 kg से अधिक न हो

चारों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। एक भी शर्त टूटी तो वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के दायरे में आ जाएगा।

सॉफ्टवेयर मोड का झांसा:

कई डीलर कहते हैं - "इसमें Eco / Sport मोड है, Eco में 25 km/h चलाओ।" यह कानूनी छूट नहीं है। प्रमाणित परीक्षण एजेंसी (ICAT / ARAI) द्वारा प्रमाणित टॉप स्पीड ही मानी जाएगी। डिजाइन से हार्डवेयर-लिमिटेड स्पीड ही छूट की शर्त है।

MoRTH का नया मसौदा - G.S.R. 760(E), 21 अगस्त 2026:

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नियम 2(u) में संशोधन का मसौदा जारी किया है:

- मोटर शक्ति 250W से बढ़ाकर 600W (0.6 kW) करने का प्रस्ताव
- अधिकतम गति 25 km/h ही रहेगी
- 60 kg वजन सीमा हटाने का प्रस्ताव
- AIS-049 Annex A सुरक्षा मानक और AIS-041 के तहत परीक्षण अनिवार्य
- लागू होने की प्रस्तावित तारीख: 1 अक्टूबर 2026

महत्वपूर्ण: यह अभी मसौदा है। अंतिम अधिसूचना प्रकाशित होने तक पुराना नियम - 250W + 25 km/h + 60 kg ही लागू है। डीलर मसौदे को अंतिम नियम बताकर ग्राहक को गुमराह नहीं कर सकता।

भाग 2 - मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संशोधित 2019) - धारा-दर-धारा दंड तालिका - धारा - अपराध - दंड - संशोधित अधिनियम 2019 के अनुसार

धारा 3 / 181 वाहन चलाना	बिना लाइसेंस ₹5,000 जुर्माना
धारा 39 / 192 बिना RC वाहन चलाना	बिना रजिस्ट्रेशन / पहली बार ₹2,000-₹5,000, दूसरी बार 1 साल तक जेल या ₹5,000-₹10,000
धारा 146 / 196 बीमा चलाना	बिना थर्ड-पार्टी ₹2,000 जुर्माना या 3 माह तक जेल या दोनों, दूसरी बार ₹4,000
धारा 129 / 194D दोपहिया चलाना	बिना हेलमेट ₹1,000 जुर्माना + 3 माह लाइसेंस निलंबन
धारा 207 परमिट वाहन जब्ती	बिना RC / बिना पुलिस / परिवहन अधिकारी वाहन को तुरंत जब्त कर सकता है
धारा 183 पहली बार ₹1,000-₹2,000, दोपहिया के लिए अलग स्लैब	ओवरस्पीडिंग
धारा 184 ड्राइविंग	खतरनाक पहली बार 6 माह जेल या ₹1,000-₹5,000, दूसरी बार 2 साल तक
धारा 180 वाहन चलाने देना	बिना लाइसेंस वाले को वाहन देने पर मालिक को सजा ₹5,000 जुर्माना या 3 माह जेल
धारा 182 जुर्माना	अयोग्य व्यक्ति को ₹10,000
धारा 199A अपराध	नाबालिग द्वारा अभिभावक / मालिक पर ₹25,000 जुर्माना + 3 साल जेल + वाहन पंजीकरण रद्द + नाबालिग को 25 साल तक लाइसेंस नहीं
धारा 201 खर्च	वाहन जब्ती का जब्ती, टोइंग, पार्किंग का खर्च मालिक से वसूला जाएगा

संयुक्त चालान का गणित - ₹13,000 कैसे बनता है?

192 (₹5,000 तक) + 181 (₹5,000) + 196 (₹2,000) + 194D (₹1,000) = ₹13,000 तक। इसके अलावा वाहन जब्ती, कोर्ट के चक्कर, वकील का खर्च और बीमा न होने का मुआवजा अलग है।

नोट: दिल्ली सहित कई राज्यों में जुर्माना राशि राज्य अधिसूचना से थोड़ी अलग हो सकती है, पर धाराएं और सिद्धांत समान हैं। छापने से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वर्तमान अधिसूचना से राशि की पुष्टि करें।

भाग 3 - MoRTH की राजपत्रित अधिसूचनाएं और सरकारी आदेश

1. केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित। नियम 2(u) में बैटरी चालित वाहनों की परिभाषा दी गई।

2. G.S.R. 760(E) - 21 अगस्त 2026 - मसौदा अधिसूचना नियम 2(u) में संशोधन का मसौदा। 600W तक मोटर, 25 km/h गति, वजन सीमा हटाने का प्रस्ताव। जनता से आपत्तियां / सुझाव मांगे गए।

3. AIS-049 और AIS-041 - सुरक्षा मानक AIS-049 - इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुरक्षा मानक। AIS-041 - परीक्षण एजेंसियों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया। MoRTH ने इन मानकों को CMVR के साथ जोड़ा है।

4. PM E-DRIVE योजना - अधिसूचना केंद्र सरकार की PM E-DRIVE योजना केवल पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर लागू है - ₹2,500 प्रति kWh, अधिकतम ₹5,000 प्रति वाहन। बिना RC वाहन को सब्सिडी नहीं मिलेगी। डीलर अगर सब्सिडी का झांसा दे तो वह भी धोखाधड़ी है।

5. FAME / राज्य EV नीतियां दिल्ली EV नीति में भी पंजीकरण, सब्सिडी और स्क्रैपिंग के नियम MoRTH के नियमों से जुड़े हैं। बिना RC वाहन को दिल्ली EV सब्सिडी नहीं मिलेगी।

6. BIS मानक - IS 17017, IS 17855 आदि भारतीय मानक ब्यूरो ने ई-वाहनों की बैटरी, चार्जर और सुरक्षा के लिए भारतीय मानक जारी किए हैं। BIS के रिसोर्स पर्सन की चेतावनी इन्हीं मानकों पर आधारित है।

भाग 4 - न्यायिक आदेश और MACT का सिद्धांत

1. मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) - धारा 166, MV Act पीड़ित पक्ष MACT में मुआवजे का दावा कर सकता है। अगर वाहन का बीमा नहीं है, तो ट्रिब्यूनल मुआवजा मालिक से सीधे वसूलने का आदेश दे सकता है।

2. सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत - थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेठी और अन्य मामलों में कहा है - थर्ड-पार्टी बीमा पीड़ित की सुरक्षा के लिए है। बिना बीमा वाहन चलाना पीड़ित के अधिकार का हनन है।

3. दिल्ली हाईकोर्ट / अन्य हाईकोर्ट - बिना RC वाहन जब्ती हाईकोर्ट ने बार-बार कहा है - बिना RC वाहन को धारा 207 के तहत जब्त करना वैध है। पुलिस को वाहन को सड़क से हटाने का अधिकार है।

4. उपभोक्ता आयोग के आदेश जिला / राज्य उपभोक्ता आयोग ने कई मामलों में डीलर को दोषी ठहराया है, जब डीलर ने 'नो-RTO' कहकर तेज गति वाली गाड़ी बेची। आयोग ने रिफंड, मुआवजा और मानसिक उत्पीड़न का हर्जाना दिलाया है।

5. नाबालिग और बिना लाइसेंस - सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक की जिम्मेदारी तय की है। धारा 199A के तहत अभिभावक को जेल तक हो सकती है।

भाग 5 - डीलर पर कौन-कौन से कानून लगेंगे? - सभी पक्ष

A. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) - धारा - अपराध - दंड

धारा 318	धोखाधड़ी / ठगी - झूठा दावा करके माल बेचना 7 साल तक जेल + जुर्माना
धारा 336	कूटरचना - फर्जी सर्टिफिकेट / दस्तावेज बनाना 7 साल तक जेल + जुर्माना
धारा 338	कूटरचित दस्तावेज का इस्तेमाल 7 साल तक जेल + जुर्माना
धारा 125	दूसरों की जान / सुरक्षा को खतरे में डालना 3 माह तक जेल या जुर्माना
धारा 106	लापरवाही से मौत 5 साल तक जेल + जुर्माना

B. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 - धारा - प्रावधान

धारा 2(47)	अनुचित व्यापार व्यवहार - गलत दावा, गलत स्पीड, गलत श्रेणी बताना
धारा 2(48)	दोषपूर्ण माल
धारा 20	CCPA को जांच, रिकॉल, रिफंड का अधिकार
धारा 89	भ्रामक विज्ञापन - 2 साल जेल + 10 लाख जुर्माना, दोबारा 5 साल + 50 लाख
धारा 90-91	मिलावटी / नकली माल - चोट पर 1 साल + 3 लाख, गंभीर चोट पर 7 साल + 5 लाख, मौत पर 7 साल से आजीवन + 10 लाख से कम नहीं
धारा 84-87	उत्पाद दायित्व - निर्माता, डीलर, विक्रेता तीनों जिम्मेदार

C. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 BIS मानक का उल्लंघन करके, बिना BIS प्रमाणन के बैटरी / चार्जर बेचना भी अपराध है। BIS को छापेमारी, जब्ती और अभियोजन का अधिकार है।

D. विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 वाहन के साथ दी गई जानकारी में मोटर क्षमता, श्रेणी, निर्माता का नाम-पता गलत लिखना भी उल्लंघन है।

भाग 6 - सभी पक्षों का संतुलित विश्लेषण

पक्ष 1 - उपभोक्ता / जनता का पक्ष: जनता कहती है - हमें सस्ता नहीं, कानूनी वाहन चाहिए। डीलर ने 'नो-RTO, नो-लाइसेंस' कहकर हमें फंसाया। अब चालान हम भरें, जेल हम जाएं, एक्सीडेंट का मुआवजा हम दें - यह कहां का न्याय है? डीलर को सजा मिलनी चाहिए।

पक्ष 2 - डीलर / व्यापारी का पक्ष:

कुछ डीलर कहते हैं - निर्माता ने ही गाड़ी को 25 km/h बताकर भेजा, हमने स्पीड नहीं बढ़ाई। ग्राहक ने खुद स्पीड मोड बदला। हमें भी निर्माता ने गुमराह किया। यह बात जांच में सामने आएगी - असली दोषी निर्माता, डीलर या ग्राहक - यह सबूत से तय होगा।

पक्ष 3 - निर्माता का पक्ष: निर्माता कहते हैं - हमने ICAT / ARAI प्रमाणित वाहन भेजा है। डीलर ने डिलीवरी के बाद कंट्रोलर / सॉफ्टवेयर बदला। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। पर अगर निर्माता ने ही 1000W मोटर लगाकर 250W बताई, तो वह भी दोषी है।

पक्ष 4 - प्रशासन / ट्रैफिक पुलिस का पक्ष: पुलिस कहती है - हमारे पास स्टाफ कम है, हर गाड़ी की स्पीड जांचना मुश्किल है। फिर भी धारा 207 के तहत जब्ती और संयुक्त चालान का अधिकार है। जागरूकता और औचक जांच से ही यह रुकेगा।

पक्ष 5 - कानूनी / मानवाधिकार पक्ष: कानून कहता है - ग्राहक को भी जांच का मौका मिला था, पर डीलर ने धोखा दिया तो ग्राहक पीड़ित है। जांच निष्पक्ष हो, सबूत वैज्ञानिक हों, निर्दोष डीलर को न फंसाया जाए।

भाग 7 - क्या होना चाहिए? - संपादकीय रोडमैप

तत्काल (24-72 घंटे में):

1. ट्रैफिक पुलिस + परिवहन विभाग + BIS की संयुक्त औचक जांच
2. संदिग्ध शोरूमों से ICAT / ARAI सर्टिफिकेट, स्टॉक रजिस्टर, बिल की जांच
3. स्पीड लिमिटर से छेड़छाड़ वाले वाहनों की बिक्री पर तुरंत रोक
4. जनता को सार्वजनिक चेतावनी - कौन से मॉडल / बैच संदिग्ध हैं

अल्पकालिक (7-15 दिन में):

5. ICAT / ARAI लैब में वाहनों की स्पीड और मोटर पावर की जांच
6. दोषी डीलरों पर FIR, लाइसेंस निलंबन, उपभोक्ता आयोग में शिकायत
7. पहले से बेचे गए वाहनों का रिकॉल / रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा
8. पीड़ित ग्राहकों को रिफंड / मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया

दीर्घकालिक (1-3 माह में):

9. हर शोरूम में ICAT सर्टिफिकेट, स्पीड और मोटर की जानकारी बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करना अनिवार्य
10. दिल्ली में ई-स्कूटर खरीदने से पहले RTO / परिवहन विभाग की ऑनलाइन सत्यापन सुविधा
11. डीलरों के लिए BIS + MoRTH प्रशिक्षण शिविर
12. स्कूल / कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता - 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ई-स्कूटर न दें

जनता के लिए - खरीदने से पहले 7 सूत्रीय चेकलिस्ट

1. लिखित में लें: 'RC नहीं चाहिए' - यह बात शोरूम के लेटरहेड पर स्टांप + हस्ताक्षर के साथ लें।
2. ICAT / ARAI सर्टिफिकेट देखें: चेसिस नंबर, टॉप स्पीड, मोटर पावर मिलाएं।
3. GST बिल लें: बिल पर मोटर (Watts), श्रेणी, चेसिस नंबर स्पष्ट हो।
4. स्पीड टेस्ट करें: शोरूम में ही फुल थ्रॉटल पर स्पीड देखें - 25 km/h से ज्यादा है तो RC वाली गाड़ी है।
5. बीमा पूछें: अगर RC वाली गाड़ी है तो थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है, बिना बीमा न लें।
6. हेलमेट लें: 25 km/h वाली गाड़ी पर भी हेलमेट पहनना सुरक्षा है, RC वाली पर कानूनी अनिवार्यता है।
7. शिकायत का रास्ता रखें: बिल, सर्टिफिकेट, फोटो, वीडियो सुरक्षित रखें।

शिकायत कहां करें:

- जिला उपभोक्ता आयोग / राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन - 1800-11-4000
- स्थानीय पुलिस स्टेशन - 112
- परिवहन विभाग / RTO - दिल्ली
- BIS - शिकायत पोर्टल / टोल फ्री
- MoRTH - परिवहन पोर्टल

संपादकीय निष्कर्ष

अवैध ई-स्कूटर की बिक्री सिर्फ एक चालान का मामला नहीं है। यह जनता की जेब, जान और घर-जमीन - तीनों पर खतरा है।

डीलर के एक झूठ से ग्राहक अपराधी बन जाता है, पुलिस का चालान कटता है, और एक्सीडेंट होने पर पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है।

हमारी मांग स्पष्ट है - तत्काल जांच हो, दोषी डीलरों पर FIR हो, संदिग्ध वाहनों की बिक्री रोकी जाए, पीड़ित ग्राहकों को रिफंड / मुआवजा मिले और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो।

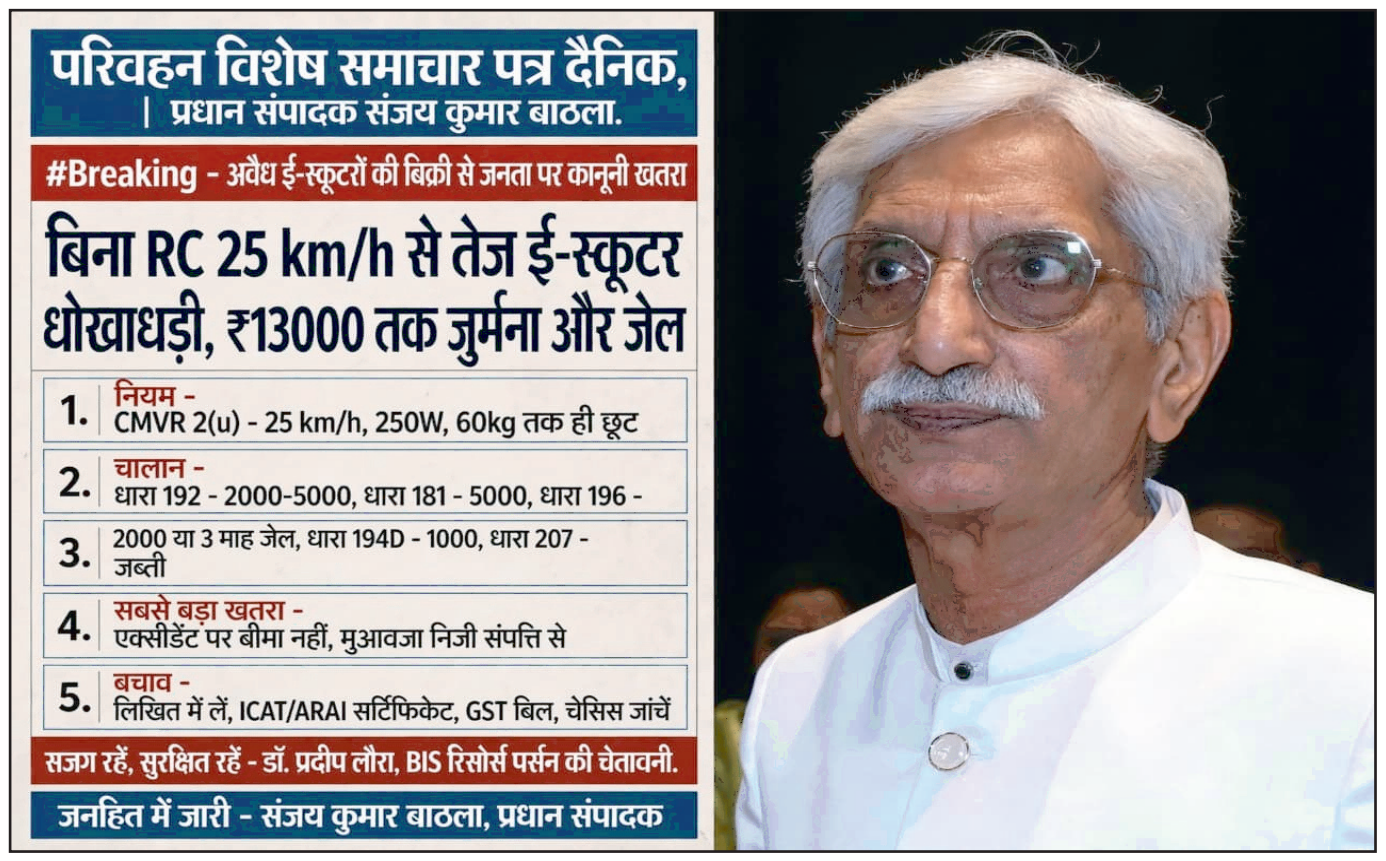
पर साथ ही हमारी अपील है - ग्राहक भी सजग रहें, मौखिक दावे पर भरोसा न करें, लिखित प्रमाण लें, और कानून का पालन करें।

क्योंकि सड़क पर सुरक्षा सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है।

जनहित अपील: अगर आपके साथ भी 'नो-RTO' कहकर तेज गति वाली ई-स्कूटर बेचने की ठगी हुई है, तो बिल, सर्टिफिकेट और फोटो सुरक्षित रखें और लिखित शिकायत दर्ज कराएं। अफवाह न फैलाएं, सबूत दें।

स्रोत: केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 नियम 2(u), मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संशोधित 2019), MoRTH मसौदा अधिसूचना G.S.R. 760(E) 21 अगस्त 2026, AIS-049 / AIS-041, BIS मानक, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, भारतीय न्याय संहिता 2023 और डॉ. प्रदीप लौरा, BIS रिसोर्स पर्सन की चेतावनी के आधार पर। जुर्माना राशि राज्य अधिसूचना के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती है, कृपया दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वर्तमान अधिसूचना से पुष्टि करें।

- संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक



विल्म्स ट्यूमर (Wilms' Tumour): गुजरात राज्य की चार साल की बच्ची का कैंसर से स्वस्थ होना आशा और प्रेरणा की मिसाल

बच्चों में कैंसर का नाम सुनते ही माता-पिता के मन में भय और चिंता पैदा होना स्वाभाविक है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने इस चुनौती से लड़ने की नई उम्मीद जगाई है। गुजरात की चार वर्षीय बच्ची का विल्म्स ट्यूमर (Wilms' Tumour) जैसे गंभीर किडनी कैंसर से सफलतापूर्वक स्वस्थ होना इसी उम्मीद की एक प्रेरक मिसाल है। यह घटना बताती है कि समय पर बीमारी की पहचान, सही उपचार और विशेषज्ञ चिकित्सकों के प्रयास से बचपन के कैंसर को भी मात दी जा सकती है। साथ ही, यह अभिभावकों के लिए जागरूक रहने और बच्चों के स्वास्थ्य में दिखाई देने वाले असामान्य लक्षणों को गंभीरता से लेने का महत्वपूर्ण संदेश देती है।

स्वास्थ्य जागरूकता

गुजरात की मात्र चार वर्ष की एक बच्ची का विल्म्स ट्यूमर (Wilms' Tumour) जैसे गंभीर कैंसर से सफलतापूर्वक स्वस्थ होना अत्यंत सुखद, उत्साहजनक और आशा जगाने वाली खबर है।

यह घटना हमें याद दिलाती है कि बच्चों में कैंसर का समय पर पता चल जाए और उचित विशेषज्ञ चिकित्सा उपलब्ध हो, तो अनेक मामलों में पूरी तरह स्वस्थ होने की अच्छी संभावना रहती है।

विल्म्स ट्यूमर क्या है?

विल्म्स ट्यूमर, जिसे नेफ्रोब्लास्टोमा (Nephroblastoma) भी कहा जाता है, बच्चों में होने वाला एक प्रकार का किडनी (गुर्दे) का कैंसर है।

* यह मुख्य रूप से 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों में पाया जाता है।
* यह एक या कभी-कभी दोनों किडनी को प्रभावित कर सकता है।
* यह सामान्यतः भ्रूण अवस्था में विकसित होने वाली कुछ कोशिकाओं के असामान्य रूप से बढ़ने के कारण होता है।
* अधिकांश मामलों में इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता।

विल्म्स ट्यूमर के प्रमुख लक्षण

माता-पिता को निम्नलिखित लक्षणों के प्रति सतर्क रहना चाहिए:

* बच्चे के पेट में असामान्य सूजन या गांठ महसूस होना।
* पेट में दर्द या बेचैनी।
* पेशाब में खून आना।
* बुखार रहना।
* भूख कम लगना और वजन घटना।
* कब्ज या उल्टी।
* रक्तचाप (Blood Pressure) बढ़ना।

महत्वपूर्ण:

कई बच्चों में शुरुआत में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। कभी-कभी नहाते समय या कपड़े पहनाते समय माता-पिता को पेट में गांठ महसूस होती है।

विल्म्स ट्यूमर का निदान कैसे किया जाता है?

यदि डॉक्टर को इस बीमारी का संदेह हो, तो निम्नलिखित जाँचें की जा सकती हैं:

* अल्ट्रासाउंड (Ultrasound): गुर्दे में गांठ या ट्यूमर का पता लगाने के लिए।
* CT Scan या MRI: ट्यूमर के आकार, स्थिति और फैलाव की जानकारी के लिए।
* Chest X-ray या CT Scan: फेफड़ों में कैंसर फैलने की संभावना की जाँच के लिए।
* Blood Tests: गुर्दे की कार्यक्षमता और अन्य स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का आकलन करने के लिए।
* Pathological Examination: निकाले गए ट्यूमर के ऊतकों की जाँच करके कैंसर के प्रकार और जोखिम का निर्धारण किया जाता है।

क्या विल्म्स ट्यूमर का इलाज संभव है?

अच्छी उपचार संभावनाएँ

जी हाँ! आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में विल्म्स ट्यूमर का प्रभावी उपचार उपलब्ध है।

इलाज मुख्य रूप से कैंसर के चरण (Stage), ट्यूमर की प्रकृति और बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है।

प्रमुख उपचार निम्नलिखित हैं:

* Chemotherapy: दवाओं द्वारा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना और ट्यूमर का आकार कम करना।
* Surgery: आवश्यकता के अनुसार प्रभावित किडनी या उसके कैंसरग्रस्त हिस्से को निकालना।
* Radiotherapy: कुछ विशेष और अधिक जोखिम वाले मामलों में विकिरण चिकित्सा देना।

हर बच्चे को सभी उपचारों की आवश्यकता नहीं होती। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बच्चे की स्थिति के अनुसार उपचार निर्धारित करती है।

स्वस्थ होने की कितनी संभावना होती है?

विल्म्स ट्यूमर के उपचार में पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

अमेरिका के National Cancer Institute (NCI) के अनुसार, 20 वर्ष से कम आयु के विल्म्स ट्यूमर से प्रभावित बच्चों की पाँच वर्ष की सापेक्ष जीवित रहने की दर लगभग 93% है।

अन्य कैंसर विशेषज्ञ संस्थाओं के अनुसार भी लगभग 90% बच्चों के स्वस्थ होने की संभावना होती है।

हालाँकि, यह आँकड़ा सभी बच्चों पर समान रूप से लागू नहीं होता। वास्तविक परिणाम कैंसर के चरण, कोशिकाओं की प्रकृति, उपचार के प्रति प्रतिक्रिया और अन्य चिकित्सकीय कारकों पर निर्भर करते हैं।

उपचार के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

कैंसर से स्वस्थ होने के बाद भी बच्चे की नियमित चिकित्सकीय निगरानी आवश्यक है।

* डॉक्टर द्वारा निर्धारित समय पर फॉलो-अप करवाएँ।
* किडनी की कार्यक्षमता की जाँच करवाते रहें।
* रक्तचाप की नियमित निगरानी करें।
* उपचार के संभावित दीर्घकालिक दुष्प्रभावों पर ध्यान दें।
* बच्चे के पोषण, शारीरिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
* डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा या सप्लीमेंट न दें।

विशेष रूप से यदि एक किडनी निकालनी पड़ी हो, तो दूसरी किडनी की कार्यक्षमता की नियमित निगरानी महत्वपूर्ण है।

माता-पिता के लिए महत्वपूर्ण संदेश

बच्चों के स्वास्थ्य में होने वाले असामान्य बदलावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पेट में असामान्य गांठ, पेशाब में खून, लगातार दर्द या अन्य असामान्य लक्षण दिखाई देने पर शीघ्र बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें।

याद रखें:

* बच्चों में कैंसर हमेशा लाइलाज नहीं होता।
* समय पर निदान और सही उपचार जीवन बचा सकते हैं।
* कैंसर से पीड़ित बच्चे को प्यार, सहयोग और मानसिक संबल देना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
* कैंसर के उपचार में देरी करने के बजाय योग्य बाल कैंसर विशेषज्ञ (Paediatric Oncologist) से संपर्क करना चाहिए।

हमें गुजरात की इस चार वर्षीय बच्ची के स्वस्थ होने पर उसके माता-पिता, परिवार और उपचार करने वाली पूरी मेडिकल टीम को हार्दिक बधाई देनी चाहिए। बच्ची के उज्ज्वल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की मंगलकामना करनी चाहिए।



परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - स्वास्थ्य विशेष - संपादकीय

नमक की एक चुटकी बदलिए, दिल और गुर्दे को बचाइए - कम सोडियम वाला नमक बन सकता है भारत की बड़ी स्वास्थ्य क्रांति

सामान्य नमक की जगह पोटैशियम युक्त कम सोडियम वाला नमक अपनाने से हर वर्ष लाखों मौतें और हृदय व गुर्दा रोग के लाखों नए मामले रोके जा सकते हैं - नया वैश्विक शोध

- प्रस्तुति : संपादकीय विभाग, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

मुख्य तथ्य - एक दृष्टि में

- मुख्य खबर: कम सोडियम वाला नमक भारत में हृदय और गुर्दा रोग से होने वाली मौतों को घटा सकता है

- शोध प्रकाशनः नेचर हेल्थ नामक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित वैश्विक अध्ययन
- अध्ययन का दायराः विश्व के लगभग एक सौ तिरानवे देशों का आकलन
- भारत के लिए अनुमानः हर वर्ष करीब चार लाख मौतें और पंद्रह लाख से अधिक हृदय व गुर्दा रोग के नए मामले रोके जा सकते हैं
- विश्व के लिए अनुमानः हर वर्ष करीब तीस लाख मौतें और एक करोड़ से अधिक नए मामले रोके जा सकते हैं
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाहः सामान्य नमक की जगह पोटैशियम युक्त कम सोडियम वाले नमक के विकल्प को अपनाने की सिफारिश

1. क्या है कम सोडियम वाला नमक?

सामान्य टेबल सॉल्ट पूरी तरह सोडियम क्लोराइड से बना होता है।

कम सोडियम वाला नमक, जिसे पोटैशियम युक्त नमक भी कहा जाता है, उसमें सोडियम क्लोराइड का एक हिस्सा पोटैशियम क्लोराइड से बदल दिया जाता है।

यह दिखने, स्वाद और पकाने में सामान्य नमक जैसा ही लगता है। फर्क सिर्फ उसके अंदर के तत्वों में होता है।

यह बदलाव दो काम एक साथ करता है -

- पहला - सोडियम की मात्रा घटाता है, जो रक्तचाप बढ़ाने का मुख्य कारण है
- दूसरा - पोटैशियम की मात्रा बढ़ाता है, जो शरीर से सोडियम निकालने और रक्त वाहिनियों को आराम देने में मदद करता है

शोधकर्ताओं का कहना है कि अधिक सोडियम और कम पोटैशियम लेना उच्च रक्तचाप का जाना-माना कारण है, जो स्ट्रोक, हार्ट अटैक और गुर्दा रोग का बड़ा जोखिम है। दोनों समस्याओं को एक साथ ठीक करना ही इस नमक की सबसे बड़ी ताकत है।

2. भारत में नमक की समस्या कितनी गंभीर है? भारत में नमक का सेवन विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश से लगभग दोगुना है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशः प्रतिदिन पाँच ग्राम से कम नमक
- भारत में औसत सेवनः प्रतिदिन लगभग नौ ग्राम नमक
- शहरी भारत में सेवनः प्रतिदिन लगभग नौ ग्राम से अधिक
- ग्रामीण भारत में सेवनः प्रतिदिन लगभग साढ़े पाँच ग्राम से अधिक

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्ययन के अनुसार, देश में लगभग इकतीस करोड़ से अधिक लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं।

इसका सीधा अर्थ है कि हमारे घर की रसोई में ही बीमारी की जड़ छिपी है। हम स्वाद के लिए नमक बढ़ाते जाते हैं, और धीरे-धीरे रक्तचाप, दिल और गुर्दे पर बोझ बढ़ता जाता है।

3. शोध क्या कहता है? - भारत और विश्व के आंकड़े नए वैश्विक अध्ययन में भारत के लिए अनुमान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- भारत में रोकी जा सकने वाली मौतेंः हर वर्ष लगभग चार लाख
- भारत में रोके जा सकने वाले हृदय व गुर्दा रोग के नए मामलेः हर वर्ष पंद्रह लाख से अधिक
- कुल लाभः हर वर्ष लगभग उन्नीस लाख से अधिक घातक और गैर-घातक घटनाएं रोकी जा सकती हैं

विश्व स्तर पर -

- रोकी जा सकने वाली मौतेंः हर वर्ष लगभग तीस लाख
- रोके जा सकने वाले नए मामलेः हर वर्ष एक करोड़ से अधिक
- सबसे बड़ा लाभः घर के नमक और बाहर के बने भोजन, दोनों का नमक बदलने से

शोधकर्ताओं के अनुसार, केवल घर के नमक को बदलने से भी हर वर्ष अठारह लाख से अधिक मौतें और बासठ लाख से अधिक मामले रोके जा सकते हैं, और केवल प्रसंस्कृत व रेस्तरां के भोजन का नमक बदलने से पंद्रह लाख से अधिक मौतें रोकी जा सकती हैं। a6a1

द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के वरिष्ठ प्रोफेसर ब्रूस नील के अनुसार, पोटैशियम युक्त नमक अपनाने से अधिकांश देशों में हर दस में से एक हृदय रोग से होने वाली मौत रोकी जा सकती है।

4. भारत में हुआ प्रयोग क्या बताता है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च रक्तचाप के रोगियों पर किया गया सॉल्ट सब्स्टीट्यूट इन इंडिया अध्ययन भी यही बताता है।

- प्रतिभागी: ग्रामीण भारत के पांच सौ से अधिक उच्च रक्तचाप के रोगी

- परिणामः तीन माह तक कम सोडियम वाला नमक अपनाने से रक्तचाप में उल्लेखनीय कमी आई
- स्वादः प्रतिभागियों को स्वाद स्वीकार्य लगा, उन्होंने नियमित उपयोग जारी रखा

इससे यह साबित हुआ कि यह बदलाव केवल किताबी नहीं है, यह भारतीय रसोई में भी व्यावहारिक है।

5. किसे सावधानी बरतनी चाहिए? - सबसे जरूरी चेतावनी यह लेख जनहित में है, इसलिए सावधानी को छिपाना ठीक नहीं होगा।

इन लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना कम सोडियम वाला नमक नहीं अपनाना चाहिए -

- गंभीर गुर्दा रोग से पीड़ित व्यक्तिः इनमें पोटैशियम अधिक बढ़ने से हाइपरकैलेमिया का खतरा हो सकता है
- पोटैशियम बढ़ाने वाली दवाएं लेने वाले व्यक्तिः दवा और नमक दोनों मिलकर पोटैशियम असंतुलित कर सकते हैं
- डायलिसिस पर निर्भर रोगीः इनके लिए विशेष आहार नियम लागू होते हैं
- गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चेः इनके लिए डॉक्टर की सलाह आवश्यक है

शोध में भी कहा गया है कि गंभीर गुर्दा रोग वाले रोगियों में भी लाभ जोखिम से अधिक पाया गया, लेकिन इसके लिए रोगी शिक्षा, उत्पाद पर स्पष्ट लेबल और डॉक्टर की निगरानी जरूरी है। a6a1

वरिष्ठ गुर्दा रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर विवेक झा के अनुसार, गंभीर गुर्दा रोग और पोटैशियम बढ़ाने वाली दवाएं लेने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन सही जानकारी और निगरानी से इस जोखिम को संभाला जा सकता है।

संपादकीय स्पष्टता: यह लेख चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है। नमक बदलने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य पूछें।

6. आम परिवार क्या करे? - व्यावहारिक मार्गदर्शन

क. नमक कम करें, स्वाद नहीं: नमक धीरे-धीरे कम करें। नींबू, धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन और मसालों से स्वाद बढ़ाएं।

ख. पैकेट वाला भोजन जांचें: नमकीन, चिप्स, अचार, सॉस, इंस्टेंट नूडल्स और प्रसंस्कृत भोजन में नमक बहुत अधिक होता है। लेबल पढ़ें।

ग. ऊपर से नमक न डालें: बना हुआ भोजन परोसने के बाद ऊपर से नमक डालने की आदत सबसे अधिक नुकसान करती है।

घ. घर के सभी लोग एक साथ बदलें: केवल रोगी का नमक बदलने से लाभ सीमित होगा। पूरे परिवार का नमक बदलने से सबका रक्तचाप नियंत्रित रहेगा।

ङ. रक्तचाप की नियमित जांच: नमक बदलने के साथ-साथ रक्तचाप, वजन और गुर्दे की जांच कराते रहें।

7. सरकार और बाजार की भूमिका शोध सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है।

- उपलब्धता: एक सर्वेक्षण में पाया गया कि कम सोडियम वाला नमक केवल अट्ठाईस प्रतिशत खुदरा दुकानों पर ही मिला, बड़ी दुकानों में अधिक और छोटी किराना दुकानों में बहुत कम

- कीमत: सामान्य आयोडीन युक्त नमक की तुलना में इसकी कीमत अधिक है, इसलिए गरीब परिवार इसे नहीं खरीद पाते

जरूरत: इसे सस्ता, सुलभ और गांव-गांव तक उपलब्ध कराना होगा

विशेषज्ञों ने सरकार से मांग की है कि इस नमक पर कर में राहत दी जाए, उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और सार्वजनिक वितरण व स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से इसे पहुंचाया जाए।

द जॉर्ज इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर विवेकानंद झा के अनुसार, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च रक्तचाप और हृदय व गुर्दा रोग से लड़ने के लिए कम सोडियम वाले पोटैशियम युक्त नमक को सस्ता और आसानी से उपलब्ध बनाना होगा।

8. संपादकीय टिप्पणी - छोटा बदलाव, बड़ा जीवन परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक हमेशा सड़क, नियम और कानून की बात करता है। आज हम रसोई की बात कर रहे हैं, क्योंकि सड़क पर चलने वाला चालक, घर में खाना बनाने वाली मां, दुकान पर बैठा व्यापारी - सबका स्वास्थ्य इसी एक चुटकी नमक से जुड़ा है।

हम नमक को मामूली समझते हैं। लेकिन यही मामूली नमक धीरे-धीरे रक्तचाप बढ़ाता है, दिल को थकाता है, गुर्दे को कमजोर करता है।

अच्छी खबर यह है कि इलाज महंगा नहीं है, दवा नहीं बदलनी है, जीवन नहीं बदलना है। सिर्फ नमक बदलना है।

यही इस शोध की सबसे बड़ी सुंदरता है -

बिना स्वाद बदले, बिना बोझ बढ़ाए, बिना अस्पताल जाए, हम लाखों जीवन बचा सकते हैं।

लेकिन यह बदलाव तभी सफल होगा जब -

- सरकार इसे सस्ता करे
- दुकानदार इसे रखे
- डॉक्टर इसे समझाए
- और परिवार इसे अपनाए

आज से ही संकल्प लें -

नमक कम, पोटैशियम युक्त विकल्प अपनाएं, रक्तचाप जांचें, और अपने परिवार को दिल व गुर्दा रोग से बचाएं।

क्योंकि एक चुटकी का फैसला, एक जीवन का फैसला बन सकता है।

- संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक



मिट्टी के दीपों से मन की रोशनी तक: जब दिल रोशन हों, तो हर दिन दिवाली है

डॉ. विजय गर्ग



दिवाली केवल दीप जलाने, घरों को सजाने और मिठाइयाँ बाँटने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन में प्रकाश, खुशी, प्रेम, आशा और सकारात्मकता का संदेश देने वाला पवित्र अवसर है। मिट्टी के छोटे-छोटे दीपक जब अँधेरी रात में जलते हैं, तो वे हमें याद दिलाते हैं कि अँधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी-सी रोशनी भी उसे दूर करने की क्षमता रखती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिवाली का यह प्रकाश केवल हमारे घरों और गलियों तक ही सीमित रहना चाहिए या हमारे दिलों और विचारों में भी फैलना चाहिए?

मिट्टी का दीपक हमें सादगी, विनम्रता और सेवा का संदेश देता है। यह स्वयं जलकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। यदि हमारी शिक्षा, धन, योग्यता और सफलता दूसरों के काम नहीं आती, तो उनका महत्त्व अधूरा रह जाता है। वास्तविक दिवाली वह है, जब हम किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का दीप जलाएँ, किसी गरीब के घर में खुशियाँ लाएँ और किसी जरूरतमंद की सहायता करें।

आज के समय में दिवाली की चमक-दमक कई बार इसके वास्तविक संदेश को पीछे छोड़ देती है। महँगे उपहारों, सजावट, बिजली की लड़ियों और पटाखों की होड़ में हम कई बार उन लोगों को भूल जाते हैं, जिनके पास दो वक्त की रोटी या घर में एक दीपक जलाने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं होते। जब एक ओर इमारतें शानदार रोशनी से जगमगाती हैं और दूसरी ओर कोई परिवार अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करता है, तो हमें त्योहार के वास्तविक अर्थ पर विचार करने की आवश्यकता है।

दिवाली हमें सामाजिक समानता और मानवता का पाठ भी पढ़ाती है। इस अवसर पर हमें घरेलू सहायकों, मजदूरों, बुजुर्गों, अनाथ बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के साथ खुशियाँ बाँटनी चाहिए। किसी बच्चे को किताबें देना, किसी बुजुर्ग की जरूरत पूरी करना, किसी भूखे को भोजन कराना या किसी अकेले व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताना भी दिवाली मनाने का एक सुंदर तरीका है। खुशियाँ बाँटने से कम नहीं होतीं, बल्कि कई गुना बढ़ जाती हैं।

मन की रोशनी का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हमारे विचारों की पवित्रता भी है। ईर्ष्या, नफरत, अहंकार, लालच, भेदभाव और बदले की भावना मनुष्य के भीतर अंधकार पैदा करती हैं। जब हम इन नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर प्रेम, सहनशीलता, क्षमा और आपसी सम्मान को अपनाते हैं, तो हमारे भीतर वास्तविक प्रकाश उत्पन्न होता है। किसी से नाराज होने पर उसे क्षमा करना, पुरानी गलतफहमियाँ दूर करना और रिश्तों में फिर से प्रेम पैदा करना भी दिवाली की रोशनी का हिस्सा है।

इस त्योहार को पर्यावरण के अनुकूल बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। पटाखों के कारण वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जिसका प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों, पक्षियों और जानवरों पर पड़ता है। इसलिए मिट्टी के दीपक जलाने, बिजली की अनावश्यक खपत कम करने, स्वच्छता बनाए रखने और पटाखों से परहेज करने जैसे कदम हमें एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की ओर ले जा सकते हैं। हमें ऐसी दिवाली मनानी चाहिए, जिसकी खुशी किसी दूसरे के लिए परेशानी का कारण न बने।

माता-पिता और शिक्षकों की भी विशेष जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को दिवाली के सांस्कृतिक और नैतिक महत्त्व के बारे में समझाएँ। उन्हें बताना चाहिए कि त्योहारों की महत्ता महँगे कपड़ों या उपहारों से नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार, साझेदारी, दया और सेवा से बढ़ती है। यदि नई पीढ़ी त्योहारों को मानवीय मूल्यों से जोड़कर मनाना सीख ले, तो हमारी परंपराएँ और भी अर्थपूर्ण बन सकती हैं।

वास्तव में, दिवाली वर्ष में एक बार आने वाला त्योहार अवश्य है, लेकिन इसका संदेश हर दिन हमारे जीवन में जीवित रहना चाहिए। जब हम किसी की सहायता करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं और समाज में प्रेम तथा भाईचारे को मजबूत करते हैं, तो हमारे जीवन में हर दिन दिवाली जैसी खुशी पैदा होती है।

आइए, इस दिवाली पर केवल घरों की दीवारों और दरवाजों को ही नहीं, बल्कि अपने दिलों और सोच को भी रोशन करने का संकल्प लें। मिट्टी के दीपों से अपने घरों को चमकाएँ और मानवता, दया, प्रेम तथा सेवा के दीपों से समाज को रोशन करें।

क्योंकि वास्तविक दिवाली वह नहीं है, जो केवल एक रात के लिए प्रकाश करे, बल्कि वह है जो हमारे विचारों, व्यवहार और कर्मों में हमेशा के लिए रोशनी भर दे। जब दिल रोशन हों, तो हर दिन दिवाली है।

सेवानिवृत्त प्राचार्य। शैक्षिक स्तंभकार। प्रख्यात शिक्षाविद्
स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर. मलोट, पंजाब

Vediccodes
VASTU · NUMEROLOGY · ASTROLOGY
आपके दिन की शुरुआत, पारुल भटनागर के साथ
विशेषज्ञ एस्ट्रो न्यूमेरो वास्तु कंसल्टेंट
परिवहन विशेष News

धन और रिश्तों का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल

जानिए दिन की ऊर्जा • संभालिए धन • मजबूत बनाइए रिश्ते
08 नवंबर 2026 | दिन का अंक: 2 — सहयोग, संवेदनशीलता, साझेदारी, धैर्य और सामंजस्य

मूलांक 1
धन व करियर: दिन का अंक 2 आपकी नेतृत्व क्षमता में सहयोग और धैर्य जोड़ता है। प्रस्ताव या साझा खर्च पर निर्णय से पहले राय लें और शर्तें स्पष्ट करें।
रिश्ते: सुलह की पहल करें, लेकिन जितना बोलें उतना ही ध्यान से सुनें।
सावधानी: बातचीत पर हावी होने और विवरण जांचे बिना सौदा स्वीकार करने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: महत्वपूर्ण निर्णय से पहले एक विचारपूर्ण प्रश्न पूछें।

मूलांक 2
धन व करियर: दिन 2 आपकी सहयोगी प्रकृति के साथ विशेष मेल रखता है। साझेदारी और संयुक्त बजट पर बातचीत धैर्य तथा स्पष्ट हिसाब से बेहतर होगी।
रिश्ते: स्नेह और समझ बढ़ेंगे; अपनी जरूरत खुलकर बताएं, अनुमान लगाने की अपेक्षा न रखें।
सावधानी: भावनात्मक खरीदारी, अनिर्णय और हर असहमति को व्यक्तिगत लेने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: सहयोग देते हुए एक स्वस्थ सीमा तय करें।

मूलांक 3
धन व करियर: आपके रचनात्मक विचार सहयोग से निखरेंगे। प्रस्तुति या बजट को भरोसेमंद साथी के साथ जांचकर आगे बढ़ाएं।
रिश्ते: हल्की बातचीत अपनापन बढ़ा सकती है, लेकिन गंभीर भावनाओं को भी जगह दें।
सावधानी: बिखरे वादे, चुगली और दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: सच्ची प्रशंसा करें और एक साझा काम पूरा करें।

मूलांक 4
धन व करियर: अपनी व्यावहारिक क्षमता से काम की जिम्मेदारियां, घरेलू खर्च और साझेदारी के दायित्व स्पष्ट करें। छोटे सुधार आगे की उलझन रोक सकते हैं।
रिश्ते: भरोसा निभाने से बनता है, लेकिन अपने तरीके पर अड़ने से अधिक जरूरी नरमी है।
सावधानी: कठोर अपेक्षाएं और असमान जिम्मेदारियों पर चुपचाप नाराज रहने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: किसी एक काम या खर्च का न्यायपूर्ण बंटवारा तय करें।

मूलांक 5
धन व करियर: दिन 2 आपकी स्वतंत्र और तेज प्रकृति को समन्वय का महत्व समझाता है। नए संपर्क में धन लगाने से पहले शर्तें जांचें।
रिश्ते: लचीली योजना आनंद दे सकती है, यदि बदलाव स्पष्ट बताएं और दूसरे की सुविधा का सम्मान करें।
सावधानी: आवेग में वादे, अस्पष्ट संकेत और आखिरी समय में अनावश्यक खर्च से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक योजना की पुष्टि करें और उसे निभाएं।

मूलांक 6
धन व करियर: आपकी देखभाल की प्रकृति आज के सहयोगी माहौल से मेल खाती है। परिवार के धन या क्लाइंट की जरूरतों पर खुलकर बात करें और बजट सुरक्षित रखें।
रिश्ते: देखभाल का छोटा कदम निकटता बढ़ाएगा; स्नेह दोनों ओर से आने दें।
सावधानी: जरूरत से ज्यादा देना, अधिकार जताना और उपहार से शांति खरीदने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: व्यावहारिक मदद दें और दूसरों की मदद स्वीकार भी करें।

मूलांक 7
धन व करियर: शांत शोध और दूसरी राय आर्थिक निर्णय को बेहतर बना सकते हैं। अपनी उपयोगी समझ दूसरों से भी साझा करें।
रिश्ते: आपको एकांत चाहिए हो सकता है, जबकि करीबी व्यक्ति आश्वासन चाहे; यह बात नरमी से समझाएं।
सावधानी: संदेह, भावनात्मक दूरी और जरूरी बातचीत टालने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: आत्मचिंतन के साथ एक सच्चा हालचाल भी पूछें।

मूलांक 8
धन व करियर: साझेदारी और आर्थिक जिम्मेदारियों में संतुलित अधिकार जरूरी है। निष्पक्ष बातचीत करें और सहमति लिखित रूप में स्पष्ट रखें।
रिश्ते: कर्तव्य के साथ गर्मजोशी दिखाएं; साझा फैसलों में दूसरों की राय भी लें।
सावधानी: शक्ति संघर्ष, कठोर मांग और भावनात्मक विवाद को धन से सुलझाने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: सम्मानपूर्ण संवाद से एक व्यावहारिक मतभेद सुलझाएं।

मूलांक 9
धन व करियर: आपकी उदारता टीम या किसी उद्देश्य के काम आ सकती है, लेकिन योगदान की राशि और प्रयोजन पहले तय करें।
रिश्ते: दोनों पक्षों को सुनने से पुरानी गलतफहमी कम हो सकती है।
सावधानी: अपराधबोध में उधार देना, भावनात्मक प्रतिक्रिया और दूसरों के दायित्व उठाने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: पूरी बात सुनें, फिर स्पष्ट सीमा के भीतर सहयोग दें।

कॉल / व्हाट्सऐप: 8750075550 | वेबसाइट: www.vediccodes.in | @vediccodes
Vediccodes - Your vibrations... our solutions

बंदी छोड़ दिवस: सिख इतिहास में स्वतंत्रता, मानवता और त्याग का प्रतीक है दीपावली का पर्व

सिख धर्म में दिवाली और बंदी छोड़ दिवस का त्योहार एक ही दिन अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और दीपमाला के साथ मनाया जाता है। यद्यपि संपूर्ण भारत में दिवाली मुख्य रूप से श्री राम जी के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है, परंतु सिख परंपरा में इस पर्व का संबंध ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से अत्यंत गहरा है।

यहाँ सिख समुदाय द्वारा दिवाली तथा बंदी छोड़ दिवस मनाए जाने के ऐतिहासिक कारणों और महत्व पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत है:

1. सिख दिवाली (दीपावली) क्यों मनाते हैं?

सिख इतिहास में दीपावली के दिन का एक विशिष्ट और बहुआयामी महत्व रहा है।

(क) बंदी छोड़ दिवस (ऐतिहासिक कारण)

सिखों के लिए इस दिन का सबसे प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक कारण छठवें गुरु, श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी का ग्वालियर के किले से रिहाई पाना और अपने साथ 52 हिंदू राजाओं को मुक्त कराना है। इस पावन घटना की याद में सिख समुदाय इस दिन को ₹बंदी छोड़ दिवस₹ के रूप में मनाता है।

(ख) श्री हरिमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) की नींव

ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, वर्ष 1577 में चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने अमृतसर सरोवर (अमृत के कुंड) की खुदाई का काम शुरू करवाया था और दीपावली के दिन ही इस पवित्र स्थान पर श्री हरिमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) की नींव रखने का कार्य आरंभ हुआ था।

(ग) सर्वत खालसा और सिख पंथ की ऐतिहासिक बैठकें

मिसल काल और 18वीं शताब्दी के दौरान, जब सिखों पर मुगलों द्वारा भारी अत्याचार किए जा रहे थे, तब सिख योद्धा और समूह वर्ष में दो बार—वैसाखी और दिवाली—पर अमृतसर साहिब में एकत्रित होते थे। इसे ₹सर्वत खालसा₹ (समग्र सिख कौम का सम्मेलन) कहा जाता था। यहाँ सिख कौम के भावी फैसलों, सुरक्षा रणनीतियों और धार्मिक प्रस्तावों (गुरुमते) पर सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते थे।

(घ) भाई मनी सिंह जी की महान शहादत

18वीं शताब्दी (वर्ष 1737) में, अमृतसर में दिवाली का पर्व मनाने के अधिकार को लेकर भाई मनी सिंह जी ने मुगल गवर्नर जकारिया खान के साथ एक समझौता किया था। मुगलों द्वारा रची गई साजिश के बावजूद भाई मनी सिंह जी ने अपने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें बंद-बंद काट कर शहीद कर दिया गया। सिख कौम दीपावली पर उनकी शहादत और बलिदान को भी याद करती है।

कहावत: पंजाब और सिख परंपरा में एक प्रसिद्ध पंक्ति प्रचलित है:

"दाल रोटी घर दी, दिवाली अमृतसर दी।"

(घर की दाल-रोटी और अमृतसर की दिवाली का कोई मुकाबला नहीं है।)

2. सिख बंदी छोड़ दिवस क्यों मनाते हैं?

"बंदी छोड़" का शाब्दिक अर्थ है — कैदियों या बंदियों को मुक्त कराने वाला। यह दिन सिख इतिहास की एक अत्यंत गौरवमयी और मानवतावादी घटना की याद दिलाता है।

(क) पृष्ठभूमि: गुरु हरगोविंद साहिब जी की गिरफ्तारी

पांचवें गुरु, श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के बाद छठवें गुरु, श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने सिख पंथ में ₹मीरी₹ (सांसारिक/राजनीतिक शक्ति) और ₹पीरी₹ (आध्यात्मिक शक्ति) की दो तलवारें धारण कीं। उन्होंने सिखों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र धारण करने और सैन्य रूप से मजबूत होने का उपदेश दिया।

गुरु जी के बढ़ते प्रभाव और सैन्य शक्ति से भयभीत होकर मुगल सम्राट जहाँगीर ने गुरु हरगोविंद साहिब जी को मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया।

(ख) 52 राजाओं का साथ और गुरु जी की शर्त

ग्वालियर के किले में पहले से ही भारत के 52 विभिन्न रियासतों के हिंदू राजा बंदी बनाए गए थे। गुरु जी के किले में प्रवेश करने के बाद, वहाँ का माहौल आध्यात्मिक हो गया।

कुछ समय पश्चात जब जहाँगीर बीमार पड़ा और उसे अपनी गलती का अहसास हुआ, तो उसने गुरु हरगोविंद साहिब जी को रिहा करने का आदेश दिया। परंतु गुरु जी ने अकेले जाने से इनकार कर दिया और शर्त रखी कि:

"मैं किला तभी छोड़ूँगा, जब मेरे साथ यहाँ बंदी बनाए गए सभी 52 राजाओं को भी रिहा किया जाएगा।"

(ग) जहाँगीर की चाल और गुरु जी की बुद्धिमत्ता

जहाँगीर गुरु जी की इस शर्त को पूरी तरह मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक कूटनीतिक चाल चलते हुए शर्त रखी कि:

"जो-जो राजा गुरु जी के वस्त्र/चोले को पकड़कर बाहर निकल सकेगा, केवल उसे ही रिहा किया जाएगा।"

जहाँगीर का मानना था कि एक समय में 4 या 5 राजा ही गुरु जी का वस्त्र पकड़ सकेंगे। परंतु गुरु हरगोविंद साहिब जी ने अपने दर्जी से एक विशेष चोला सिलवाया, जिसमें 52 कलियाँ (लहंगे या लटकी हुई डोरियाँ/कलियाँ) बनी हुई थीं।

रिहाई के दिन, सभी 52 राजाओं ने उस विशेष चोले की एक-एक कली/डोरी को अपने हाथों में पकड़ा और गुरु जी के साथ सम्मानपूर्वक ग्वालियर के किले से बाहर आ गए। गुरु जी की इस महान सूझबूझ और परोपकार के कारण सभी राजा मुगलों की कैद से मुक्त हो गए।

(घ) अमृतसर आगमन और दीपमाला

ग्वालियर किले से रिहा होने के बाद जब गुरु हरगोविंद साहिब जी दीपावली के दिन ही श्री अमृतसर साहिब पहुँचे, तो सिख संगत ने अपने प्रिय गुरु के आगमन की खुशी में पूरे नगर में दीये जलाकर (दीपमाला करके) और आतिशबाजी करके भव्य स्वागत किया। उसी दिन से इस पावन पर्व को "बंदी छोड़ दिवस₹ के रूप में मनाया जाने लगा।

निष्कर्ष व वर्तमान आयोजन

सिख समुदाय के लिए दिवाली और बंदी छोड़ दिवस केवल रोशनी का पर्व नहीं है, बल्कि यह:

मानवता और स्वतंत्रता का संदेश देता है।

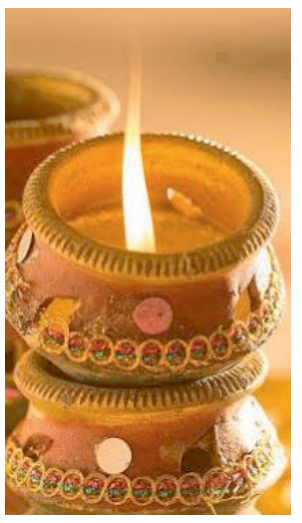
अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की सीख देता है।

अपने अधिकारों के साथ-साथ दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रेरणापुंज है।

आज भी बंदी छोड़ दिवस के अवसर पर दुनिया भर के गुरुद्वारों, विशेष रूप से श्री हरिमंदिर साहिब (अमृतसर) और गुरुद्वारा बंदी छोड़ साहिब (ग्वालियर) में अलौकिक आतिशबाजी की जाती है, दीपमाला की जाती है और अखंड पाठ साहिब के भोग डाले जाते हैं।



दीपावली का पर्व भारतीय संस्कृति में प्रकाश, आस्था और खुशियों का प्रतीक है, लेकिन सिख धर्म में इस दिन का महत्व केवल दीपोत्सव तक सीमित नहीं है। सिख समुदाय इस पर्व को 'बंदी छोड़ दिवस' के रूप में भी मनाता है, जो छठवें गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी की अद्वितीय मानवता, त्याग और स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। मान्यता है कि गुरु साहिब ने ग्वालियर के किले से स्वयं की रिहाई के साथ 52 बंदी राजाओं को भी आजाद कराया था। यही कारण है कि सिख परंपरा में दीपावली अन्याय पर न्याय, पराधीनता पर स्वतंत्रता और अंधकार पर प्रकाश की विजय का संदेश देती है। इस ऐतिहासिक विरासत के चलते अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब से लेकर देश-दुनिया के गुरुद्वारों तक यह पर्व श्रद्धा, भव्य दीपमाला, अरदास और सेवा भावना के साथ मनाया जाता है।



दीपावली पर विशेष
:: गरीबों की मांग ::

दीप मालिके वापस जाओ।
दीप मालिके वापस जाओ।।

स्वागत कैसे करुं तुम्हारा।
स्वागत का कुछ नहीं सहारा॥
या पहले "साधनर दिलवाओ,
दीप मालिके वापस जाओ।
दीप मालिके वापस जाओ।

पहले ही संताप बहुत है।
हर "अभाव" का ताप बहुत है॥
कैसे इसका करुं समापन,
हो हिम्मत सहाय बन जाओ।
दीप मालिके वापस जाओ।
दीप मालिके वापस जाओ।

जब भी तुम वापस आती हो,
वे खुश,मुझको गम लाती हो।
हालातों को कब तक झेलूं,
कोई तो अब राह बताओ।

दीप मालिके वापस जाओ।
दीप मालिके वापस जाओ।।

इच्छाओं का सागर गहरा,
उस पर भी अभाव का पहरा।
प्रभु कहने का साहस दिलवाओ।

दीप मालिके वापस जाओ।
दीप मालिके वापस जाओ।।

सुनील बाजपेई
(कवि ,गीतकार ,लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार),
कानपुर,उत्तर प्रदेश।

दीपावली की असली रोशनी: नशामुक्त पंजाब

डॉ. विजय गर्ग

दीपावली रोशनी, खुशियों, आशाओं और नए संकल्पों का त्योहार है। इस दिन हम अपने घरों, गलियों और आसपास के वातावरण को दीप जलाकर रोशन करते हैं तथा अंधकार को दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या केवल घरों में दीप जलाने से ही समाज में उजाला आ सकता है? क्या हमारी जिम्मेदारी केवल अपने घरों को रोशन करने तक सीमित है? वास्तव में दीपावली का सच्चा संदेश तभी सार्थक होगा, जब हम समाज में फैले नशे के अंधकार को दूर करने का संकल्प भी लें।

आज पंजाब के सामने नशे की समस्या एक गंभीर सामाजिक चुनौती बनी हुई है। नशा केवल किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। नशे की लत के कारण अनेक युवा अपनी पढ़ाई, रोजगार और जीवन के सपनों से दूर हो जाते हैं। माता-पिता की उम्मीदें टूट जाती हैं, परिवारों में तनाव बढ़ता है और अनेक घरों की खुशहाली समाप्त हो जाती है।

पंजाब की पहचान मेहनत, साहस, खेलों, कृषि, समृद्ध संस्कृति और वीरता से रही है। इस धरती के युवाओं ने देश और विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ऐसे में युवा पीढ़ी को नशे से बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामूहिक दायित्व है।

नशामुक्त पंजाब के निर्माण के लिए सबसे पहले जागरूकता और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। स्कूलों और कॉलेजों में नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणामों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी दी जानी चाहिए। शिक्षकों और माता-पिता को बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए, ताकि वे अपनी समस्याओं को बिना किसी डर या झिझक के साझा कर सकें।

खेल, साहित्य, संगीत, वैज्ञानिक गतिविधियां और रचनात्मक कार्य युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा दे सकते हैं। गांवों और शहरों में खेल के मैदान, पुस्तकालय, युवा क्लब और कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है। जब युवाओं को शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, तो वे अपने भविष्य को लेकर अधिक आत्मविश्वासी बनेंगे और नकारात्मक गतिविधियों से दूर रह सकेंगे।

इस संघर्ष में परिवार की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसी युवा में नशे की लत के लक्षण दिखाई दें, तो उसे अपमानित करने या परिवार से अलग करने के बजाय प्यार, सहानुभूति और उचित उपचार का सहयोग देना चाहिए। नशे की लत एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसका उपचार संभव है। इसलिए प्रभावित व्यक्तियों को योग्य चिकित्सकों की सलाह, काउंसलिंग और पुनर्वास सेवाओं से जोड़ना आवश्यक है।

इसके साथ ही नशीले पदार्थों की अवैध आपूर्ति और तस्करी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। समाज के लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नशे के अवैध कारोबार से संबंधित विश्वसनीय जानकारी उचित अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए। नशा बेचने वालों और नशे की लत से जूझ रहे लोगों को एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई और नशे से पीड़ित लोगों के लिए उपचार एवं पुनर्वास, दोनों आवश्यक हैं।



दीपावली के अवसर पर हम अपने घरों में अनेक दीप जलाते हैं। इस बार आइए, एक दीप नशामुक्त पंजाब के नाम भी जलाएं। यह दीप केवल मिट्टी का दीपक न हो, बल्कि हमारे मन में जागरूकता, जिम्मेदारी और मानवता की ज्योति का प्रतीक बने। हम संकल्प लें कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखेंगे, युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ेंगे और नशे की लत से संघर्ष कर रहे लोगों की सहायता करेंगे।

हमें याद रखना चाहिए कि पटाखों की आवाज कुछ क्षणों तक गूंजती है और दीपों की रोशनी रात भर चमकती है, लेकिन नशामुक्त समाज की रोशनी आने वाली पीढ़ियों तक चमक सकती है।

आइए, इस दीपावली केवल अपने घरों को ही नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य को भी रोशन करें। क्योंकि दीपावली की असली रोशनी पटाखों में नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशामुक्त पंजाब के सपने में निहित है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल। शैक्षिक स्तंभकार। प्रख्यात शिक्षाविद्
स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर. मलोट, पंजाब – 152107

संजय की तीसरी आँख :- व्यंग्य - त्योहारों में मिठास कम, मिलावट भरती दम!

(संजय एम तराणेकर)

त्योहार आते ही बाजार में रौनक बढ़ जाती है। मिठाई की दुकानों पर ऐसी सजावट होती है, मानो मिठाइयां नहीं, खुशियों के पैकेट बिक रहे हों। दुकानदार भी ग्राहकों का स्वागत ऐसे करते हैं जैसे बरसों से उनकी सेहत की चिंता में दुबले हुए जा रहे हों। लेकिन इस मिठास के पीछे मिलावट का जो कड़वा सच छिपा है, वह किसी से छिपा नहीं है।

पहले त्योहारों पर घरों में मावे की मिठाइयां बनती थीं। अब जमाना बदल गया है। घर में मिठाई बनाने की फुर्सत किसे है? बाजार में सब कुछ रेडीमेड उपलब्ध है। बस जेब में पैसा और दुकानदार पर भरोसा होना चाहिए। हालांकि भरोसे का बाजार भी अब मिलावट की गिरफ्त में है।

मजे की बात यह है कि मिठाई खरीदते समय ग्राहक शुद्धता की गारंटी मांगता है और दुकानदार मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल शुद्ध है! बेचारा ग्राहक भी उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। उसे क्या मालूम कि मिठाई में मावे से ज्यादा मिलावट का अनुभव घुला हुआ है। कहीं दूध में पानी, कहीं घी में दूसरा तेल और कहीं पनीर में ऐसी सामग्री कि प्रयोगशाला भी सोच में पड़ जाए।

सरकारी विभाग भी त्योहारों से पहले अचानक जाग उठते हैं। छापेमारी होती है, नमूने लिए जाते हैं, मिलावटी सामान पकड़ा जाता है और अखबारों में बड़ी-बड़ी खबरें छप जाती हैं। जनता खुश हो जाती है कि अब मिठाइयां शुद्ध मिलेंगी। लेकिन त्योहार बीतते ही यह अभियान भी सरकारी फाइलों में मिठास घोलने चला जाता है। साथ ही जीभ भी लपालप हो जाती हैं।

सवाल यह है कि जब हर साल मिलावट पकड़ी जाती है, तो मिलावटखोरों का कारोबार बंद क्यों नहीं होता? आखिर कानून की सख्ती दुकानदारों तक पहुंचते-पहुंचते इतनी नरम कैसे पड़ जाती है?

त्योहार खुशियां बांटने के लिए हैं, बीमारियां बांटने के लिए नहीं। सरकार को भी चाहिए कि मिठाई में मिठास और व्यवस्था में सख्ती रखे। वरना आने वाले समय में लोग मिठाई खाने से पहले स्वाद नहीं, उसकी प्रयोगशाला रिपोर्ट पूछेंगे!

(कवि, लेखक व समीक्षक)

दीपावली, दीपों का पर्व, संस्कृति की जीवंत परंपरा

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़
हरदा मध्य प्रदेश



भारत भूमि को यदि उत्सवों और पर्वों का देश कहा जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ वर्ष के बारह महीनों में अनगिनत उत्सव मनाए जाते हैं, किंतु कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला दीपावली (दिवाली) का पर्व केवल एक त्यौहार मात्र नहीं है, बल्कि यह भारतीय जनजीवन की संस्कृति, परंपरा, लोक-आस्था और राष्ट्र की सामूहिक चेतना का सबसे चमकीला हस्ताक्षर है। आज की भागदौड़ भरी आधुनिक ज़िंदगी में जब मनुष्य अपनी जड़ों से दूर होता जा रहा है, तब दीपावली जैसी प्राचीन परंपराएँ हमें हमारी मूल संस्कृति से जोड़कर मानवीय संवेदनाओं को जीवंत रखती हैं।

"तमसो मा ज्योतिर्गमय"—अर्थात 'हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो' यह भारतीय मनीषियों का सनातन उद्घोष है। दीपावली इसी उद्घोष का जीवंत और व्यावहारिक रूप है। जब इस पावन संध्या पर घर-घर में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, तो वे केवल मिट्टी के दीये नहीं होते, बल्कि वे मनुष्य के भीतर छिपे अज्ञान, द्वेष, लोभ और अहंकार के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, प्रेम और पवित्रता के प्रकाश को फ़ैलाने का प्रतीक बनते हैं।

भारतीय संस्कृति में अग्नि और प्रकाश को पवित्रता, चेतना और ऊर्जा का सर्वोच्च स्त्रोत माना गया है। दीप प्रज्वलन की यह परंपरा हमें यह संदेश देती है कि चाहे रात कितनी भी गहरी और लंबी क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी बड़े से बड़े अंधकार को चुनौती देने का सामर्थ्य रखता है। यह केवल एक बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि अंतःकरण के प्रबोधन का उत्सव है।

पत्र-पत्रिकाओं और ऐतिहासिक ग्रंथों में दीपावली के अनेक पौराणिक और सांस्कृतिक संदर्भ मिलते हैं, जो इसकी व्यापकता को दर्शाते हैं।

भारत के लोक-मानस में यह पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के चौदह वर्ष के वनवास के पश्चात लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटने की ख़ुशी में मनाया जाता है। अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा के स्वागत में घी के दीये जलाए थे, जो आज भी हर घर में हर्षोल्लास के रूप में जीवित है।

इस पावन रात्रि को धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। यह लोक-आस्था इस बात का प्रतीक है कि भौतिक समृद्धि के साथ-साथ बुद्धि, विवेक और सदाचरण का होना भी अनिवार्य है।

देश के दक्षिणी अंचल में इसे नरकासुर वध के रूप में और जैन परंपरा में भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में भी स्मरण किया जाता है।

यह विविधता ही भारतीय समाज की सबसे बड़ी ताक़त है, जो विभिन्न आख्यानों को समेटे हुए संपूर्ण राष्ट्र को एक सांस्कृतिक धागे में पिरो देती है।

पत्र-पत्रिकाओं के पन्नों पर जब हम दीपावली के सामाजिक स्वरूप का विश्लेषण करते हैं, तो पाते हैं कि यह भारतीय समाज की सामूहिक उपासना का पर्व है। इस दिन की तैयारियाँ हफ्तों पहले शुरू हो जाती हैं, घरों की साफ-सफाई, रंगाई-पुताई और सजावट। यह इस बात का प्रतीक है कि हम अपने बाहरी परिवेश के साथ-साथ अपने मन और अंतःकरण को भी स्वच्छ और पवित्र बनाएं।

इस दिन अमीर-ग़रीब, ऊँच-नीच के सभी भेद स्वतः मिट जाते हैं। हर घर, चाहे वह माटी की झोपड़ी हो या भव्य अटारी, दीयों की रोशनी से जगमगा उठता है।

एक-दूसरे के घर जाकर मिठाइयाँ बाँटना, गले मिलना और खुशियाँ साझा करना हमारे समाज के आपसी प्रेम, सौहार्द और सहकारिता को सुदृढ़ करता है। यह पर्व अकेले उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय को साथ लेकर चलने का चिर-परिचित माध्यम है।

यह पर्व हमें यह आत्ममंथन करने का अवसर देता है कि हम केवल भौतिक चकाचौंध में न उलझकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर के मूल भाव को समझें। दीपावली का एक-एक दीपक यह संदेश देता है कि प्रेम, भाईचारा और प्रकाश का यह उत्सव केवल एक रात का नहीं, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शक बनना चाहिए।

आज के आधुनिक और यंत्रवत युग में, जहाँ मनुष्य भौतिकता की दौड़ में अकेला पड़ता जा रहा है, दीपावली जैसी परंपराएँ हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का काम करती हैं। आइए, इस दीपावली हम सब मिलकर केवल अपने घरों को ही नहीं, बल्कि समाज के हर उस कोने को आत्मीयता के प्रकाश से आलोकित करें, जहाँ निराशा का अंधकार है।

ऋषिकुल्या नदी में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मास्टर प्लान जरूरी: भक्त चरण दास

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा



भुवनेश्वर: बालू माफियाओं ने नदियों और उनके तटों तथा मुहानों को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया है। आसिका शहर में 10 से 15 फीट तक पानी भरने का मुख्य कारण जाआड़ा के पास ऋषिकुल्या नदी के मुहाने को नष्ट किया जाना है। यह बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कही।

शनिवार सुबह गजपति रवाना होने से पहले छत्रपुर में गंजाम जिलाधिकारी से मुलाकात कर पिछले दो दिनों के अपने अनुभव साझा करने के बाद श्री दास ने पत्रकारों से कहा कि ऋषिकुल्या नदी में पहले भी कई बार बाढ़ आई है, लेकिन इस बार की तबाही ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि ऋषिकुल्या नदी के तटबंध टूटने वाले स्थानों पर विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उचित तरीके से मरम्मत कार्य नहीं किया गया, तो भविष्य में भारी बारिश होने पर और भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने अफसोस जताया कि ऋषिकुल्या नदी के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की दिशा में कोई गंभीर पहल नहीं की जा रही है।

आसिका शहर में आई बाढ़ को भी मानव निर्मित आपदा बताते हुए श्री दास ने कहा कि इसके लिए राजस्व विभाग और नगर पालिका दोनों जिम्मेदार हैं। यदि शहर के भीतर स्थित नालों पर अतिक्रमण नहीं होता, तो पानी की निकासी संभव हो सकती थी। उन्होंने कहा कि अकेले आसिका शहर में लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके बावजूद पूरे गंजाम जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र से मात्र लगभग 2,600 करोड़ रुपये की सहायता मांगी गई है। यह किस तरह का आपदा प्रबंधन है? उन्होंने कहा कि दुकानों में तीन दिनों तक पानी भरा रहने के बाद व्यापारियों को अपनी कीमती वस्तुएं बेहद कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने अपनी आंखों से यह भयावह दृश्य देखा है।

श्री दास ने कहा कि ऋषिकुल्या नदी में बाढ़ नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान तैयार करना बेहद जरूरी है। भविष्य में गंजाम जिले को ऐसी बाढ़ से बचाने के लिए बालू और गाद की सफाई, नदी के मुहाने का पुनर्निर्माण तथा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जैसे कार्य विशेषज्ञों की देखरेख में तत्काल शुरू किए जाने चाहिए। उन्होंने ऋषिकुल्या नदी के स्थायी समाधान के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि गंजाम जिले में लगभग पांच लाख एकड़ कृषि भूमि की फसल बर्बाद हुई है, जबकि सरकार केवल 74 हजार एकड़ भूमि की फसल क्षति का आकलन कर रही है। दूसरी ओर, प्रति एकड़ असिंचित भूमि में 18 से 20 क्विंटल और सिंचित भूमि में 25 से 30 क्विंटल धान की पैदावार के हिसाब से एमएसपी के आधार पर किसानों को क्रमशः डेढ़ से दो लाख रुपये तक मिलने चाहिए थे। लेकिन सरकार ने केवल 11 हजार और 22 हजार रुपये की सहायता की घोषणा की है। यह किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं तो और क्या है?

उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार ओडिशा की खदानों से उद्योगपतियों के पास बकाया लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये का टैक्स वसूलने के बजाय उसे छोड़ने का फैसला कर रही है और हर साल 12 हजार से 17 हजार करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान को स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो संकट की इस घड़ी में अन्नदाताओं की सहायता के लिए उसका हाथ क्यों नहीं खुल रहा है? श्री दास ने मांग की कि सरकार धान की अनुमानित उपज के आधार पर किसानों को कम से कम 50 प्रतिशत सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराए।

गजपति जिले में भी व्यापक नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार इस ओर गंभीरता नहीं दिखा रही है। लक्ष्मीपुर पंचायत के तितिली गांव का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री दास ने कहा कि गजपति जिले में विभिन्न फसलों के साथ मक्का की खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई है।

उन्होंने बताया कि चक्रवात अर्णव के प्रभाव से प्रेमनिधि गमांग भी नदी में बह गए थे। उनके परिवार को चार लाख रुपये की घोषित सहायता राशि में से अब तक केवल 40 हजार रुपये मिले हैं। पीसीसी की ओर से मांग की गई है कि चक्रवात अर्णव के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को कम से कम 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।

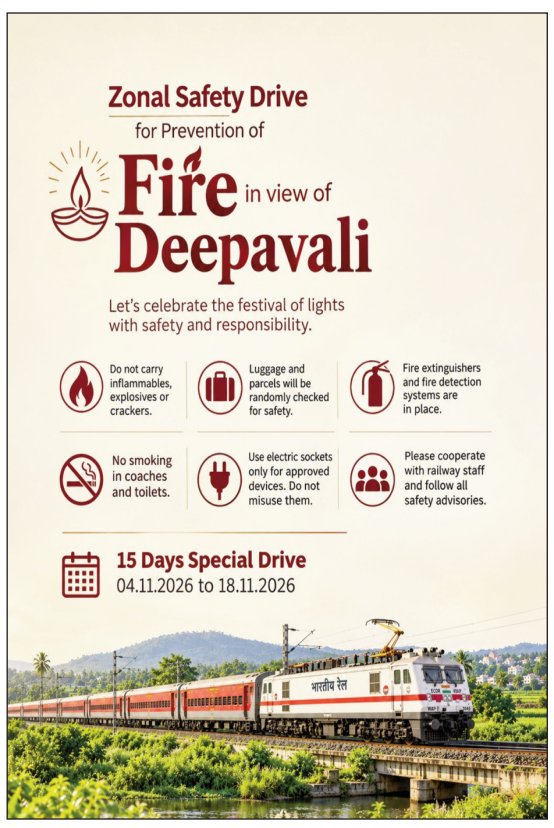
मोहना पंचायत की स्थिति को भी गंभीर बताते हुए श्री दास ने कहा कि सरकार ने कई स्थानों को नगर निकाय घोषित किया है, लेकिन मोहना पर उसकी नजर नहीं पड़ी। उन्होंने मोहना के लोगों को प्रदूषित पेयजल उपलब्ध कराए जाने पर चिंता जताते हुए कहा कि यहां जल शोधन संयंत्र अथवा गहरे नलकूपों के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री दास ने मांग की कि गंजाम, गजपति और कंधमाल सहित चक्रवात अर्णव से प्रभावित सभी जिलों में तत्काल राहत एवं सहायता उपलब्ध कराई जाए।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के आने संबंधी पत्रकारों के सवाल पर श्री दास ने कहा, 'दोनों आएं, लेकिन बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी के भीतर वास्तविक संवेदनशीलता और ईमानदार इच्छाशक्ति होनी चाहिए।'

सुरक्षित यात्रा के लिए भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा नियमों का पालन करने की पूर्व तट रेलवे की यात्रियों से अपील

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा



भुवनेश्वर: आगामी त्योहारों के मौसम में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व तट रेलवे ने अपने क्षेत्राधिकार में यात्रा करने वाले सभी रेल यात्रियों से रेलवे प्रशासन को सहयोग करने तथा रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भीड़ प्रबंधन एवं सुरक्षा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। इस अपील का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित, आरामदायक और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना है। यात्रियों की भारी भीड़ को सुचारु रूप से नियंत्रित करने के लिए पूर्व तट रेलवे की ओर से विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। इनमें विशेष ट्रेनों का संचालन, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के जवानों की तैनाती के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना तथा यात्रियों की आवाजाही पर लगातार निगरानी रखना शामिल है। हालांकि, इन सभी व्यवस्थाओं की सफलता काफी हद तक यात्रियों के सहयोग, अनुशासन और जिम्मेदार व्यवहार पर निर्भर करती है। रेलवे ने यात्रियों को स्टेशनों में प्रवेश और निकास, टिकट खरीदने तथा ट्रेन में चढ़ने के दौरान व्यवस्थित कतार बनाए रखने की सलाह दी है। विशेष रूप से फुट ओवरब्रिज (FOB), एस्केलेटर, सीढ़ियों और प्लेटफॉर्म के किनारे जल्दबाजी करने, धक्का-मुक्की करने अथवा अनावश्यक भीड़ जमा करने से बचने का अनुरोध किया गया है। प्लेटफॉर्म पर खतरनाक भीड़ से बचने के लिए यात्रियों को स्टेशनों पर उपलब्ध निर्धारित होल्डिंग एरिया का उपयोग करने तथा ट्रेन में चढ़ने की अनुमति मिलने तक वहीं प्रतीक्षा करने की सलाह दी गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए स्टेशनों पर तैनात RPF, GRP और अन्य रेलवे अधिकारियों के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की भी अपील की गई है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से काफी पहले स्टेशन पहुंचें, रेलवे की ओर से की जाने वाली घोषणाओं पर ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर की पुष्टि करें और व्यवस्थित तरीके से ट्रेन में चढ़ें।

इसके साथ ही रेलवे ने यात्रियों को जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली तथा रेल परिचालन में बाधा डालने वाली असुरक्षित और प्रतिबंधित गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी है। ट्रेन के फुटबोर्ड, बफर या छत पर यात्रा करना बेहद खतरनाक है और रेलवे नियमों के अनुसार दंडनीय अपराध है। रेलवे ट्रैक पार करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए यात्रियों को हमेशा फुट ओवरब्रिज (FOB) या निर्धारित सब-वे का इस्तेमाल करना चाहिए। वैध आपातकालीन स्थिति के अलावा अनावश्यक रूप से अलार्म चेन खींचने से हजारों अन्य यात्रियों को परेशानी होती है और ट्रेन परिचालन में अनावश्यक देरी होती है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ट्रेन या रेलवे स्टेशन परिसर में ज्वलनशील पदार्थ, पटाखे और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना पूरी तरह निषिद्ध है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे ने यात्रियों को अपने सामान की सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करने की सलाह दी है। इसके अलावा, यदि उन्हें कोई लावारिस वस्तु या संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तो इसकी सूचना तत्काल रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों को दें अथवा रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करें।

नवीन को मंत्री गोकुलानंद ने दिया जवाब, गंजाम दौरे को लेकर साधा निशाना; कहा- संकट के समय जनता के साथ नहीं थे नवीन

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा



भूबनेश्वर: बीजद अध्यक्ष एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक के गंजाम दौरे और उनके बयानों पर मंत्री गोकुलानंद मलिक ने पलटवार किया है। नवीन की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आपदा के समय नवीन पटनायक गंजाम के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए थे। इसी वजह से आज गंजाम दौरे के दौरान उन्हें 'गो बैक' के नारे सुनने पड़े। मंत्री गोकुलानंद ने कहा कि बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय राजनीति करने के बजाय लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन बीजद की टीम का गंजाम दौरा एक राजनीतिक रैली में तब्दील हो गया। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं और उनकी दुर्दशा पर राजनीति करना उचित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार ने आपदा प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री स्वयं आपदा की स्थिति पर नजर रख रहे थे। गंजाम जिले के प्रभावित लोगों के लिए सरकार की ओर से एक बड़े राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है।

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - शिक्षा व पर्यावरण विशेष - संपादकीय

धुएं में सांस ले रहे नन्हे फेफड़े - दिल्ली में कक्षा पाँच तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड पढ़ाई का फैसला क्यों जरूरी था?

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने गंभीर श्रेणी के प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप के तीसरे चरण को लागू किया, शिक्षा निदेशालय ने सभी विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया

- प्रस्तुति : संपादकीय विभाग, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

मुख्य तथ्य - एक दृष्टि में

- जारी करने वाला विभागः दिल्ली सरकार, शिक्षा निदेशालय, विद्यालय शाखा, पुराना सचिवालय
- आदेश की तिथिः छह नवंबर, दो हजार छब्बीस
- आधार आदेशः वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र का आदेश
- लागू व्यवस्थाः ग्रैप का तीसरा चरण, जिसे गंभीर श्रेणी की वायु गुणवत्ता कहा गया है
- लाभार्थीः कक्षा पाँच तक के सभी बच्चे
- लागू विद्यालयः शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, नगर निगम दिल्ली और दिल्ली छावनी बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय
- पढ़ाई का तरीकाः हाइब्रिड मोड, यानी भौतिक और ऑनलाइन, दोनों माध्यमों में पढ़ाई, जहां ऑनलाइन संभव हो
- प्रभावः तत्काल प्रभाव से, अगले आदेश तक

1. पत्र में क्या कहा गया है? - पूरी जानकारी दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने एक परिपत्र जारी किया है।

इस परिपत्र में कहा गया है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हवा की गुणवत्ता और अधिक खराब होने से रोकने के प्रयास में ग्रैप के तीसरे चरण की सभी कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय पहले से लागू पहले और दूसरे चरण की कार्रवाइयों के अतिरिक्त होगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सभी संबंधित एजेंसियों को इसे पूरी गंभीरता से लागू करना होगा।

इसी आदेश के पालन में शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया है कि कक्षा पाँच तक के बच्चों के लिए विद्यालयों में कक्षाएं अनिवार्य रूप से हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएं। यानी बच्चा चाहे तो विद्यालय आकर पढ़े, चाहे तो घर से ऑनलाइन पढ़े, जहां ऑनलाइन व्यवस्था संभव हो।

साथ ही सभी विद्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे इस सूचना को तुरंत माता-पिता और अभिभावकों तक पहुंचाएं।

सभी उप शिक्षा निदेशकों को भी कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र के विद्यालयों का दौरा करें, ताकि इन निर्देशों का सुचारु पालन सुनिश्चित हो सके।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया गया है।

2. हाइब्रिड मोड का अर्थ क्या है? - माता-पिता भ्रमित न हों हाइब्रिड मोड का अर्थ विद्यालय बंद होना नहीं है।

- हाइब्रिड का अर्थः भौतिक कक्षा और ऑनलाइन कक्षा, दोनों चलेंगी
- माता-पिता की पसंदः अभिभावक अपनी सुविधा और बच्चे के स्वास्थ्य के अनुसार चुन सकते हैं कि बच्चा विद्यालय जाएगा या घर से पढ़ेगा
- विद्यालय की जिम्मेदारीः विद्यालय को दोनों व्यवस्थाएं चलानी होंगी, किसी एक को बंद नहीं करना है
- पढ़ाई का नुकसान नहींः उद्देश्य पढ़ाई रोकना नहीं, बल्कि बच्चे को जहरीली हवा में आने-जाने से बचाना है

यही इस आदेश की सबसे बड़ी मानवीयता है। सरकार ने बच्चे को न घर में कैद किया है, न सड़क पर धकेला है। उसने चुनाव माता-पिता को दिया है।

3. कक्षा पाँच तक के बच्चों को ही क्यों चुना गया? - वैज्ञानिक कारण छोटे बच्चे प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

क. फेफड़े अभी बन रहे हैंः छोटे बच्चों के फेफड़े और श्वसन तंत्र अभी विकसित हो रहे होते हैं। जहरीले कण सीधे उनके फेफड़ों में जाकर लंबे समय तक नुकसान पहुंचाते हैं।

ख. सांस लेने की गति अधिकः बच्चे बड़ों की तुलना में प्रति मिनट अधिक बार सांस लेते हैं। इसलिए वे समान हवा में भी अधिक प्रदूषक अपने शरीर में ले लेते हैं।

ग. ऊंचाई कम, धुआं अधिकः बच्चों की ऊंचाई कम होती है। सड़क के पास धूल, धुआं और वाहन प्रदूषण सबसे अधिक निचले स्तर पर होता है। इसलिए बच्चा सड़क पर चलते समय सबसे अधिक प्रदूषण झेलता है।

घ. रोग प्रतिरोधक क्षमता कमः बच्चों में अस्थमा, एलर्जी, खांसी, जुकाम और आंखों में जलन जैसी समस्याएं जल्दी बढ़ जाती हैं।

ङ. खेल और भागदौड़ः छोटे बच्चे विद्यालय में खेलते हैं, भागते हैं, खुली हवा में अधिक समय बिताते हैं। गंभीर प्रदूषण में यही खेल उनके लिए खतरा बन जाता है।

इसलिए कक्षा पाँच तक के बच्चों को विशेष सुरक्षा देना कोई सुविधा नहीं, बल्कि चिकित्सीय आवश्यकता है।

4. दिल्ली की हवा इतनी खराब क्यों हो गई? - जड़ को समझिए हर वर्ष नवंबर आते ही दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं रह जाती।

- पराली का धुआंः पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से धुआं दिल्ली की ओर आता है
- वाहनों का प्रदूषणः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहनों की संख्या बहुत अधिक है, धुआं और धूल लगातार बढ़ती है
- निर्माण कार्य की धूलः निर्माण और तोड़फोड़ से उड़ने वाली धूल हवा को और जहरीला करती है
- मौसम की मारः ठंड में हवा भारी हो जाती है, प्रदूषक नीचे ही जम जाते हैं, हवा उन्हें उड़ा नहीं पाती
- पटाखे और अन्य स्रोतः त्योहारों के बाद धुआं और अधिक बढ़ जाता है

ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान इसी के लिए बना है। जैसे-जैसे हवा खराब होती जाती है, वैसे-वैसे सख्त कदम उठाए जाते हैं।

- पहला चरणः खराब श्रेणी में सामान्य नियंत्रण
- दूसरा चरणः बहुत खराब श्रेणी में और सख्ती
- तीसरा चरणः गंभीर श्रेणी में निर्माण रोक, वाहनों पर नियंत्रण, विद्यालयों में हाइब्रिड व्यवस्था जैसे कदम
- चौथा चरणः गंभीर से भी अधिक खराब स्थिति में और अधिक आपातकालीन कदम

इस बार तीसरा चरण लागू करना पड़ा, यानी स्थिति सामान्य नहीं, गंभीर है।

5. विद्यालयों की जिम्मेदारी क्या है? परिपत्र में विद्यालय प्रमुखों को केवल आदेश मानने को नहीं कहा गया, बल्कि सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है।

विद्यालय को क्या करना है -

- सभी माता-पिता को तुरंत सूचना भेजें, ताकि कोई बच्चा भ्रम में न रहे
- ऑनलाइन कक्षा का समय, लिंक और पढ़ाई की सामग्री पहले से साझा करें
- जो बच्चे विद्यालय आएं, उनके लिए स्वच्छ पेयजल, मास्क और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रखें
- बाहरी खेल, प्रार्थना सभा और खुली हवा की गतिविधियां अस्थायी रूप से रोकें या सीमित करें
- वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी प्रतिदिन साझा करें
- शिक्षकों को निर्देश दें कि ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे को किसी प्रकार की सजा या भेदभाव न मिले

उप शिक्षा निदेशकों की भूमिका -

- विद्यालयों का दौरा करें
- हाइब्रिड व्यवस्था सच में चल रही है या केवल कागज पर, इसकी जांच करें
- शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें

6. माता-पिता क्या करें? - व्यावहारिक मार्गदर्शन

क. बच्चे को सुबह की जहरीली हवा में न भेजेंः सुबह के समय धुआं सबसे अधिक होता है। यदि बच्चा विद्यालय जा रहा है तो मास्क अवश्य पहनाएं।

ख. घर में हवा साफ रखेंः खिड़कियां उस समय खोलें जब हवा अपेक्षाकृत साफ हो। घर में पौधे रखें, धूल जमा न होने दें।

ग. बच्चे को पानी और पौष्टिक भोजन देंः पर्याप्त पानी, फल, हरी सब्जियां और विटामिन सी युक्त भोजन बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।

घ. लक्षणों को नजरअंदाज न करें:

लगातार खांसी, सांस फूलना, आंखों में जलन, गले में खराश, सिरदर्द हो तो तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ से मिलें।

ङ. ऑनलाइन पढ़ाई को गंभीरता से लेंः ऑनलाइन कक्षा को छुट्टी न समझें। घर में पढ़ाई के लिए शांत स्थान, निश्चित समय और शिक्षक से संवाद बनाए रखें।

च. वाहन प्रदूषण कम करेंः हो सके तो बच्चे को पैदल या साइकिल से प्रदूषित सड़क पर न भेजें। निजी वाहन की जगह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।

7. हाइब्रिड पढ़ाई की चुनौतियां - आंख मूंदना ठीक नहीं संपादकीय विभाग यह भी मानता है कि हाइब्रिड व्यवस्था में चुनौतियां हैं।

- डिजिटल खाईः सभी परिवारों के पास मोबाइल, लैपटॉप और अच्छा इंटरनेट नहीं है
- छोटे बच्चों का ध्यानः छोटे बच्चे लंबे समय तक स्क्रीन पर ध्यान नहीं रख पाते
- शिक्षकों पर बोझः एक ही शिक्षक को भौतिक और ऑनलाइन, दोनों कक्षाएं एक साथ संभालनी पड़ती हैं
- सामाजिक विकासः बच्चे विद्यालय में दोस्तों से मिलकर सीखते हैं, ऑनलाइन में वह कमी रह जाती है

इसलिए सरकार को केवल आदेश देकर नहीं बैठना चाहिए। विद्यालयों को तकनीकी सहायता, शिक्षकों को प्रशिक्षण और गरीब परिवारों को उपकरण की मदद देनी चाहिए।

हाइब्रिड व्यवस्था आपातकालीन समाधान है, स्थायी समाधान नहीं। स्थायी समाधान तो साफ हवा ही है।

8. संपादकीय टिप्पणी - बच्चे की सांस से बड़ा कोई विकास नहीं परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक का मानना है कि यह आदेश देर से नहीं, सही समय पर आया है।

हम हर वर्ष यही देखते हैं - हवा खराब होती है, बहस होती है, दोषारोपण होता है, और अंत में बच्चा खांसता हुआ विद्यालय जाता है।

इस बार शिक्षा निदेशालय ने कम से कम बच्चे की सांस को प्राथमिकता दी है। यह स्वागत योग्य है।

लेकिन प्रश्न यह है -

क्या हर वर्ष हम बच्चों को घर में बैठाकर प्रदूषण से बचाते रहेंगे?

क्या हम कभी हवा को ही साफ करने का स्थायी संकल्प लेंगे?

बच्चा विद्यालय न जाकर बच सकता है, लेकिन वह घर में भी तो उसी हवा में सांस लेगा। हाइब्रिड व्यवस्था बच्चे को सड़क की यात्रा से बचा सकती है, लेकिन घर की हवा को साफ नहीं कर सकती।

इसलिए यह आदेश राहत है, इलाज नहीं। इलाज तो तब होगा जब -

- पराली जलाना पूरी तरह रुके
- सार्वजनिक परिवहन मजबूत हो
- निर्माण कार्य में धूल नियंत्रण अनिवार्य हो
- वाहनों का प्रदूषण सख्ती से रोका जाए
- पड़ोसी राज्य और केंद्र मिलकर काम करें

जब तक हवा साफ नहीं होगी, तब तक कोई भी कक्षा सुरक्षित नहीं होगी।

आज की आवश्यकता है कि माता-पिता, विद्यालय, सरकार और समाज - सब मिलकर बच्चे के स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखें।

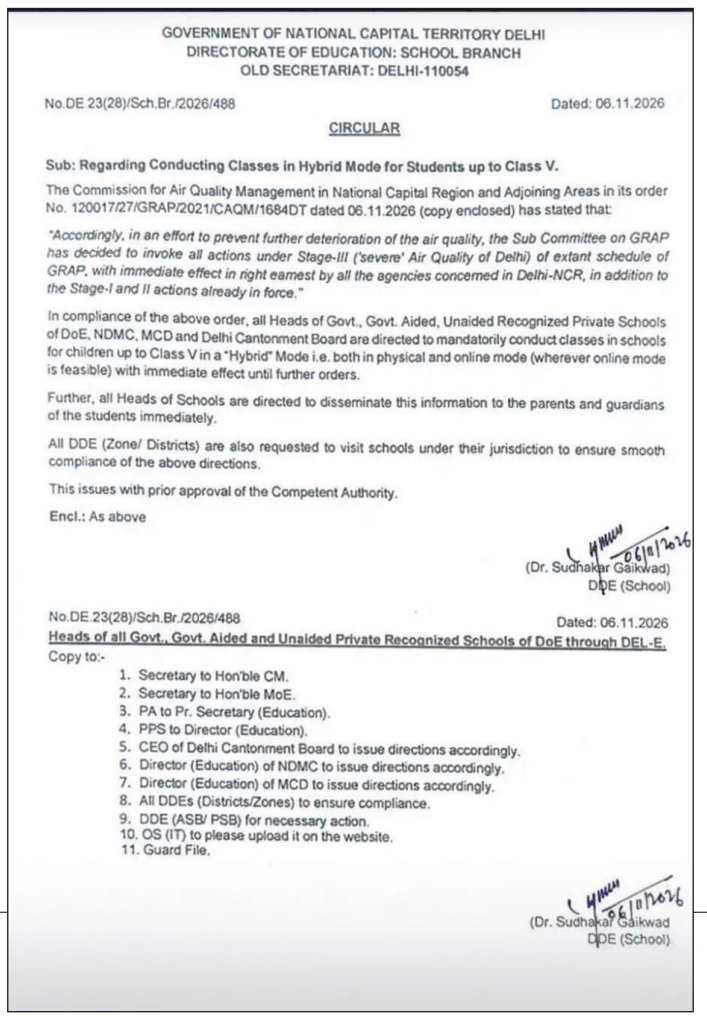
बच्चा स्वस्थ रहेगा, तभी पढ़ेगा।

बच्चा सांस ले पाएगा, तभी सपना देख पाएगा।

यही इस परिपत्र का असली संदेश है।

- संजय कुमार बाठला,
प्रधान संपादक




GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION: SCHOOL BRANCH
OLD SECRETARIAT: DELHI-110054

No.DE.23(28)/Sch.Br./2026/488 Dated: 06.11.2026

CIRCULAR

Sub: Regarding Conducting Classes in Hybrid Mode for Students up to Class V.

The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas in its order No. 120017/27/GRAP/2021/CAQM/1684DT dated 06.11.2026 (copy enclosed) has stated that:

"Accordingly, in an effort to prevent further deterioration of the air quality, the Sub Committee on GRAP has decided to invoke all actions under Stage-III ('severe' Air Quality of Delhi) of extant schedule of GRAP, with immediate effect in right earnest by all the agencies concerned in Delhi-NCR, in addition to the Stage-I and II actions already in force."

In compliance of the above order, all Heads of Govt., Govt. Aided, Unaided Recognized Private Schools of DoE, NDMC, MCD and Delhi Cantonment Board are directed to mandatorily conduct classes in schools for children up to Class V in a "Hybrid" Mode i.e. both in physical and online mode (wherever online mode is feasible) with immediate effect until further orders.

Further, all Heads of Schools are directed to disseminate this information to the parents and guardians of the students immediately.

All DDE (Zone/ Districts) are also requested to visit schools under their jurisdiction to ensure smooth compliance of the above directions.

This issues with prior approval of the Competent Authority.

Encl.: As above

06/11/2026
(Dr. Sudhakar Gaikwad)
DDE (School)

No.DE.23(28)/Sch.Br./2026/488 Dated: 06.11.2026

Heads of all Govt., Govt. Aided and Unaided Private Recognized Schools of DoE through DEL-E.

Copy to:-

1. Secretary to Hon'ble CM.
2. Secretary to Hon'ble MoE.
3. PA to Pr. Secretary (Education).
4. PPS to Director (Education).
5. CEO of Delhi Cantonment Board to issue directions accordingly.
6. Director (Education) of NDMC to issue directions accordingly.
7. Director (Education) of MCD to issue directions accordingly.
8. All DDEs (Districts/Zones) to ensure compliance.
9. DDE (ASB/ PSB) for necessary action.
10. OS (IT) to please upload it on the website.
11. Guard File.

06/11/2026
(Dr. Sudhakar Gaikwad)
DDE (School)

पार्किंग की व्यवस्था नदारद, जुर्माने की कार्रवाई में प्रशासन आगे! आखिर वाहन खड़े करें तो कहां?



बालूघाट NH प्रवेश मार्ग पर संयुक्त अभियान चलाकर हटाए गए अवैध पार्क वाहन, लेकिन हजारों करोड़ के शहरी विकास के बीच लॉजिस्टिक पार्किंग और ट्रांसपोर्ट नगर का सपना अब भी अधूरा

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला

शहर के बालूघाट स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्रवेश बिंदु पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाने के लिए राउरकेला महानगर निगम (RMC), क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) और राजस्व विभाग की संयुक्त प्रवर्तन टीम ने अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे अनधिकृत रूप से खड़े वाहनों को हटाया गया, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु रखी जा सके।

यातायात अनुशासन और सड़क सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन की इस कार्रवाई को उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा और असहज सवाल भी खड़ा होता है—आखिर शहर में भारी वाहनों और व्यावसायिक गाड़ियों के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था कहां है?

विडंबना देखिए, राउरकेला में विकास के नाम पर हजारों करोड़ रुपये की योजनाएं और परियोजनाएं संचालित होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक गतिविधियों के लिए एक व्यवस्थित पार्किंग स्थल आज भी वाहन मालिकों की प्रतीक्षा सूची में है। दूसरी ओर, निजी कमर्शियल पार्किंग संचालकों पर मनमाने शुल्क वसूलने और वाहन मालिकों की मजबूरी का फायदा उठाने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।

लॉजिस्टिक पार्किंग, लॉजिस्टिक पार्क और ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर वर्षों से उम्मीदें जगाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वाहन मालिकों के सामने है। शहर की आर्थिक गतिविधियों को गति देने वाले ट्रांसपोर्टर और वाहन चालक आखिर अपनी गाड़ियां खड़ी करें तो कहां?

यह भी समझना होगा कि परिवहन व्यवसाय केवल ट्रकों तक सीमित नहीं है। लौह उद्योग से लेकर छोटे व्यापारियों, किराना दुकानों और आम उपभोक्ताओं तक की आपूर्ति व्यवस्था इसी परिवहन तंत्र पर निर्भर है। बार-बार वाहनों को खदेड़ना, भारी जुर्माना लगाना और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के कार्रवाई करना भविष्य में व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है।

प्रशासन को याद रखना चाहिए कि परिवहन की धारा यदि किसी शहर से मुड़ गई, तो उसे वापस लाना आसान नहीं होगा। यदि ट्रांसपोर्टर राउरकेला में परिचालन को कठिन और अलाभकारी मानने लगे, तो इसका असर केवल इस्पात कारोबार पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति तक पड़ सकता है।

सड़कें अतिक्रमण मुक्त रहें, यह जरूरी है; लेकिन वाहन मालिकों को सम्मानजनक और किफायती पार्किंग उपलब्ध कराना भी प्रशासन की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। कार्रवाई से पहले व्यवस्था और दंड से पहले समाधान—राउरकेला को आज इसी प्रशासनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

राउरकेला में शिक्षा का विस्तार, लेकिन विद्यार्थियों की सुरक्षा का जिम्मेदार

गली-मोहल्लों में फैले कोचिंग सेंटरों से लेकर बड़े शैक्षणिक संस्थानों तक हो व्यापक फायर ऑडिट

हादसों के बाद जागने की परंपरा कब बदलेगा प्रशासन? क्या किसी बड़ी अग्निकांड की प्रतीक्षा है?

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला

शहर में शिक्षा के व्यावसायीकरण के साथ सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटरों, ट्यूशन संस्थानों और निजी शिक्षण केंद्रों का तेजी से विस्तार हुआ है। मुख्य सड़कों से लेकर संकरी गलियों और घनी आबादी वाले मोहल्लों तक छोटे-बड़े शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं। लेकिन इनके संचालन के साथ विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य अग्निशमन व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, यह एक गंभीर सवाल है।

विडंबना यह है कि अनेक शिक्षण केंद्र सीमित जगह, संकरे प्रवेश मार्ग, बहुमंजिला इमारतों और अपर्याप्त निकास व्यवस्था वाले भवनों में संचालित होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में शॉर्ट सर्किट या आग लगने की एक छोटी-सी घटना भी भयावह त्रासदी में बदल सकती है। अग्निशमन यंत्र, स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म, आपातकालीन निकास द्वार, सीढ़ियों की उपलब्धता और विद्यार्थियों की सुरक्षित निकासी की व्यवस्था की नियमित जांच बेहद जरूरी है।

देश में हुए अग्निकांड इस खतरे की गंभीरता उजागर कर चुके हैं। जून 2023 में दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित कोचिंग सेंटर में आग लगने से 61 विद्यार्थी घायल हुए थे। वहीं, जून 2026 में लखनऊ की अग्निकांड त्रासदी में 15 लोगों की मौत के बाद ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (OSDMA) ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटरों और कौशल विकास केंद्रों का तत्काल फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए थे। Delhi News - The Indian Express +1

ओडिशा में नवंबर 2025 के संशोधित अग्नि सुरक्षा नियमों के तहत संबंधित परिसरों के लिए वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई में ऑडिट प्रमाणपत्र अपलोड करने का प्रावधान भी है। Odisha Government Home

ऐसे में सवाल राउरकेला प्रशासन, अग्निशमन विभाग और संबंधित शिक्षा अधिकारियों से है कि शहर में संचालित सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों तथा कोचिंग सेंटरों की वास्तविक सुरक्षा स्थिति की जांच कब होगी? कितनों के पास वैध फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र है और कितनों ने सुरक्षा मानकों का पालन किया है?

आग लगने के बाद मुआयना, सीलिंग और जांच बैठाने से बेहतर है कि हादसे से पहले सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन को तत्काल विशेष अभियान चलाकर व्यापक फायर ऑडिट, औचक निरीक्षण, मॉक ड्रिल और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

वार्डों की बदहाली का जायजा लेने सड़कों पर उतरीं नगर आयुक्त, जनता से सीधा संवाद

वार्ड 16, 17 और 18 का किया निरीक्षण, सफाई, जर्जर सड़क और जलनिकासी की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई के दिए संकेत

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला

शहर की नागरिक सुविधाओं की वास्तविक तस्वीर जानने के लिए राउरकेला महानगर निगम की आयुक्त दीना दस्तगीर शुक्रवार को वार्ड संख्या 16, 17 और 18 के दौरे पर पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने केवल औपचारिक निरीक्षण तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि स्थानीय निवासियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनीं।

निरीक्षण के दौरान नागरिकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था, जर्जर सड़कों, नालियों की बदहाल स्थिति और जलनिकासी से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। आयुक्त ने संबंधित क्षेत्रों की जमीनी स्थिति का जायजा लेते हुए बुनियादी नागरिक सुविधाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

शहर की स्वच्छता और बेहतर आधारभूत संरचना को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने सफाई व्यवस्था, सड़क मरम्मत तथा ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया। स्थानीय लोगों के सुझावों और शिकायतों को सुनकर उन्होंने नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता जताई।

हालांकि, शहरवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस तरह के निरीक्षणों के बाद समस्याओं का समाधान कितनी तेजी से जमीन पर दिखाई देता है। राउरकेला जैसे औद्योगिक शहर में बेहतर सड़क, व्यवस्थित जलनिकासी और नियमित सफाई केवल प्रशासनिक घोषणाओं का विषय नहीं, बल्कि नागरिकों की बुनियादी जरूरत है।

नगर आयुक्त का वार्ड स्तर पर पहुंचकर जनता से संवाद करना निश्चित रूप से सकारात्मक पहल है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि निरीक्षण के दौरान सामने आई समस्याओं पर कितनी समयबद्ध कार्रवाई होती है और आम नागरिकों को इसका वास्तविक लाभ कब मिलता है।

वेदव्यास नहर मार्ग पर भीषण अग्निकांड, पुआल और भूसे के ढेर में लगी आग से मची अफरा-तफरी

पटाखों से आग लगने की आशंका, दमकल टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू; चंदन बहेरा, मुन्ना राय और गौरीशंकर यादव सहित स्थानीय लोगों ने दिखाई तत्परता

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला

वेदव्यास कैनाल रोड पर शुक्रवार दोपहर अचानक लगी भीषण आग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते वहां जमा पुआल और भूसे के बड़े ढेर को अपनी चपेट में ले लिया। प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि आसपास रखे पटाखों के कारण आग भड़की होगी। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दमकल विभाग और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी। इस दौरान चंदन बहेरा, मुन्ना राय, गौरी शंकर यादव सहित अन्य स्थानीय लोगों ने तत्काल अग्निशमन दल को बुलाने, प्रशासन तक सूचना पहुंचाने और राहत कार्य में सहयोग करने में सक्रिय भूमिका निभाई।

सूचना मिलते ही दमकल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते अग्निशमन दल की कार्रवाई और स्थानीय लोगों की सक्रियता से आग को फैलने से रोकने में मदद मिली।

इस घटना ने एक बार फिर रिहायशी एवं सार्वजनिक आवागमन वाले क्षेत्रों में पुआल, भूसे और ज्वलनशील सामग्री के भंडारण की मौजूदगी से उत्पन्न अग्नि जोखिम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

फिलहाल आग से हुए वास्तविक नुकसान और इसके कारणों का आकलन किया जाना बाकी है। प्रशासन को घटना की निष्पक्ष जांच कराते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने चाहिए।

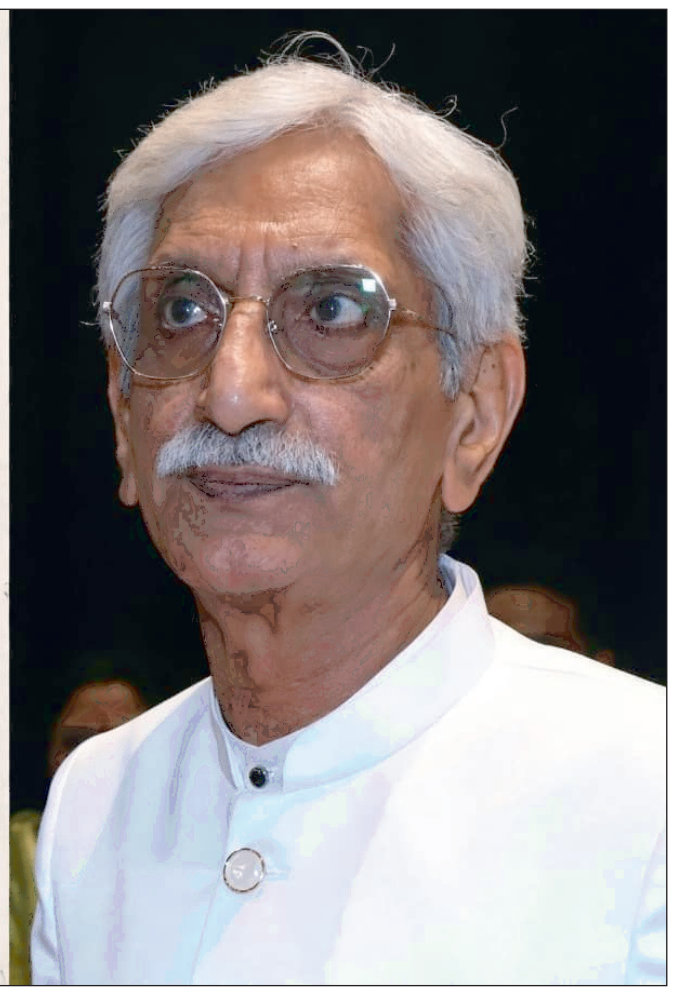


परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - विशेष संपादकीय / जनहित जांच / उपभोक्ता अधिकार विशेष

गौतमपुरी मार्केट में कथित एक्सपायरी घोटाला - डिस्काउंट के नाम पर जिंदगी से सौदा? अब कार्रवाई जरूरी, पर कानून के दायरे में







गौतमपुरी मार्केट में कथित एक्सपायरी घोटाला – डिस्काउंट के नाम पर जिंदगी से सौदा? अब कार्रवाई जरूरी, पर कानून के दायरे में
एक्सपायरी मिटाकर नई तारीख, फर्जी मोहर, संदिग्ध उत्पादों की बिक्री का आरोप – यह सिर्फ एक बाजार का मामला नहीं, बल्कि संविधान, जनस्वास्थ्य, उपभोक्ता विश्वास और बेजुबान जानवरों की सुरक्षा का सवाल है | सभी पक्षों का विस्तृत विश्लेषण

रिपोर्ट विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र - विश्लेषक:-
संजय कुमार बाठला

सभी दुकानों और गोदामों की पहचान कर तत्काल निरीक्षण हो कानूनी आधार: खाद्य सुरक्षा अधिकारी को FSS अधिनियम की धारा 38 के तहत निरीक्षण, नमूना लेने और रिकॉर्ड जांचने का अधिकार है। पुलिस को BNSS के तहत तलाशी / जब्ती का अधिकार है, पर मजिस्ट्रेट की अनुमति और पंचनामा जरूरी है। संदिग्ध दुकानों को जांच पूरी होने तक कानून के अनुसार सील किया जाए कानूनी आधार: FSS अधिनियम की धारा 38 और 58 के तहत लाइसेंस निलंबन / रद्दीकरण और उत्पाद जब्ती हो सकती है। सीलिंग मनमानी नहीं, बल्कि लिखित आदेश, कारण और सुनवाई के अवसर के साथ होनी चाहिए। अन्यथा कोर्ट में आदेश रद्द हो सकता है। बरामद मोहरें, सामग्री और उत्पाद FSL भेजे जाएं कानूनी आधार: फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में स्याही, कागज, प्रिंटिंग, स्टांप की उम्र और उत्पाद की रासायनिक जांच से यह साबित होगा कि तारीख बदली गई या नहीं। यही वैज्ञानिक सबूत अदालत में टिकेगा।

नई दिल्ली - दिल्ली के त्योहारों के मौसम में गंभीर आरोप सामने आया है। आरोप है कि गौतमपुरी मार्केट में कुछ दुकानों / गोदामों में एक्सपायरी डेट मिटाकर नई तारीख और फर्जी मोहर लगाकर खाद्य पदार्थ, कॉस्मेटिक, एनिमल फूड और अन्य घरेलू उत्पाद बेचे जा रहे हैं।

संपादकीय स्पष्टीकरण: जानकारी प्राप्त करने पर पता चला की यह खबर अभी आरोप / कथित स्तर पर है।

किसी भी दुकानदार, सप्लायर या व्यक्ति को जांच और अदालत के फैसले से पहले दोषी नहीं कहा जा सकता, संविधान हर व्यक्ति को निर्दोष माने जाने का अधिकार देता है। इसलिए हमारी मांग है - तत्काल, निष्पक्ष, वैज्ञानिक और पारदर्शी जांच, न कि भीड़ का फैसला।

सवाल बड़ा है - क्या किसी बड़ी स्वास्थ्य दुर्घटना के बाद ही कार्रवाई होगी?

तथ्य एक नज़र में – क्या आरोप है? – बिंदु – विवरण

स्थान	गौतमपुरी मार्केट, दिल्ली - आरोपित क्षेत्र
आरोप 1	एक्सपायरी डेट मिटाकर नई तारीख लगाना
आरोप 2	फर्जी मोहर / स्टांप का इस्तेमाल
आरोप 3	मोहरें, तारीख बदलने की सामग्री और संदिग्ध उत्पादों की बरामदगी का दावा
आरोप 4	खाद्य, कॉस्मेटिक, एनिमल फूड, घरेलू उत्पादों की संदिग्ध बिक्री
आरोप 5	सप्लाई चेन - सप्लायर, थोक विक्रेता, रिटेल दुकानदारों का कथित नेटवर्क
प्रभाव	मानव स्वास्थ्य, बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों और पालतू / बेजुबान जानवरों पर खतरा
मांग	जांच, सीलिंग, FSL जांच, नमूना जांच, रिकॉल, दोषियों पर कठोर कार्रवाई

> जनहित चेतावनी: अगर आपके पास गौतमपुरी या किसी भी बाजार से खरीदा संदिग्ध उत्पाद है, तो उसे न खाएं, न बच्चों / जानवरों को दें। बिल, पैकेट, फोटो सुरक्षित रखें और खाद्य सुरक्षा विभाग / उपभोक्ता हेल्पलाइन को सूचना दें।

मुख्य बिंदु – 7 सूत्रीय जनहित मांग का कानूनी विश्लेषण

1. सभी दुकानों और गोदामों की पहचान कर तत्काल निरीक्षण हो कानूनी आधार: खाद्य सुरक्षा अधिकारी को FSS अधिनियम की धारा 38 के तहत निरीक्षण, नमूना लेने और रिकॉर्ड जांचने का अधिकार है। पुलिस को BNSS के तहत तलाशी / जब्ती का अधिकार है, पर मजिस्ट्रेट की अनुमति और पंचनामा जरूरी है।

2. संदिग्ध दुकानों को जांच पूरी होने तक कानून के अनुसार सील किया जाए कानूनी आधार: FSS अधिनियम की धारा 38 और 58 के तहत लाइसेंस निलंबन / रद्दीकरण और उत्पाद जब्ती हो सकती है। सीलिंग मनमानी नहीं, बल्कि लिखित आदेश, कारण और सुनवाई के अवसर के साथ होनी चाहिए। अन्यथा कोर्ट में आदेश रद्द हो सकता है।

3. बरामद मोहरें, सामग्री और उत्पाद FSL भेजे जाएं कानूनी आधार: फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में स्याही, कागज, प्रिंटिंग, स्टांप की उम्र और उत्पाद की रासायनिक जांच से यह साबित होगा कि तारीख बदली गई या नहीं। यही वैज्ञानिक सबूत अदालत में टिकेगा। केवल आरोप से सजा नहीं होगी।

4. खाद्य, कॉस्मेटिक, एनिमल फूड के नमूनों की जांच हो

– खाद्य पदार्थ: FSSAI मानक - कॉस्मेटिक: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

– एनिमल फूड / पशु आहार: पशु आहार मानक और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

– घरेलू उत्पाद: विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 - पैकेजिंग, वजन, MRP, तारीख की अनिवार्यता

5. पहले से बेचे गए उत्पादों की सप्लाई चेन का पता लगाकर रिकॉल / जब्ती हो -- कानूनी आधार: FSS अधिनियम की धारा 28 - फूड रिकॉल। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 20 - केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को रिकॉल, रिफंड और जांच का अधिकार है।

6. सप्लायर, थोक विक्रेता और रिटेलर की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो सिर्फ रिटेलर को पकड़ना काफी नहीं है। असली जड़ सप्लायर और थोक नेटवर्क में हो सकती है। जांच में बिल, GST बिल, ई-वे बिल, गोदाम रजिस्टर, CCTV, बैंक लेनदेन और कॉल रिकॉर्ड की कानूनी प्रक्रिया से जांच होनी चाहिए। निर्दोष छोटे दुकानदार को फंसाना भी अन्याय होगा।

7. दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो दोष साबित होने पर नीचे दिए गए कानूनों के तहत सजा, जुर्माना, लाइसेंस रद्द और मुआवजा - तीनों हो सकते हैं।

भाग 1 – संवैधानिक अधिकार: जनता का पक्ष क्या कहता है?

1. अनुच्छेद 21 - जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है - जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि सुरक्षित जीवन, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ हवा और स्वास्थ्य भी है। एक्सपायरी / मिलावटी सामान बेचना सीधे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

2. अनुच्छेद 47 - राज्य का कर्तव्य राज्य का कर्तव्य है कि वह पोषण स्तर बढ़ाए, जनस्वास्थ्य सुधारे और मादक पदार्थों पर रोक लगाए। खाद्य सुरक्षा इसी कर्तव्य का हिस्सा है।

3. अनुच्छेद 14 - समानता का अधिकार कानून सब पर समान लागू हो। बड़े गोदाम मालिक हो या छोटा दुकानदार - जांच और सजा में भेदभाव नहीं होना चाहिए।

4. अनुच्छेद 19(1)(g) - व्यापार की स्वतंत्रता, पर शर्तों के साथ व्यापार का अधिकार है, पर अनुच्छेद 19(6) के तहत जनहित में उस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मिलावटी सामान बेचना व्यापार का अधिकार नहीं, अपराध है।

5. अनुच्छेद 32 और 226 - अदालत जाने का अधिकार पीड़ित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 32) और हाईकोर्ट (अनुच्छेद 226) में जनहित याचिका दायर कर सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा और जनस्वास्थ्य के मामलों में पहले भी सख्त आदेश दिए हैं।

6. आरोपितों के भी अधिकार हैं – अनुच्छेद 20, 21, 22

- बिना कानून के सजा नहीं (अनुच्छेद 20)
- निष्पक्ष जांच और वकील का अधिकार
- गिरफ्तारी पर 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना (अनुच्छेद 22)
- निर्दोष माने जाने का अधिकार जब तक दोष साबित न हो

संपादकीय संतुलन: जनता की सुरक्षा और आरोपितों के अधिकार - दोनों का सम्मान ही न्याय है।

भाग 2 – मुख्य कानून और दंड: कौन सी धारा, क्या सजा?

A. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act) - सबसे महत्वपूर्ण कानून - धारा - अपराध - दंड

धारा 50	मांगी गई गुणवत्ता का भोजन न देना 5 लाख रुपये तक जुर्माना
धारा 51	घटिया (Sub-standard) भोजन 5 लाख रुपये तक जुर्माना
धारा 52	मिसब्रांडेड भोजन - गलत लेबल, गलत तारीख 3 लाख रुपये तक जुर्माना + उत्पाद नष्ट
धारा 53	भ्रामक विज्ञापन 10 लाख रुपये तक जुर्माना
धारा 57	मिलावट करने वाला पदार्थ रखना 2 लाख से 10 लाख तक जुर्माना
धारा 58	नियमों का उल्लंघन 2 लाख रुपये तक जुर्माना
धारा 59	असुरक्षित भोजन (Unsafe Food) चोट न होने पर - 3 माह जेल + 3 लाख जुर्माना, गंभीर चोट पर - 6 साल तक, मौत पर - 7 साल से आजीवन कारावास + 10 लाख से कम नहीं जुर्माना
धारा 60	जब्त सामान से छेड़छाड़ 6 माह जेल + 2 लाख जुर्माना
धारा 61	गलत जानकारी देना 3 माह जेल + 2 लाख जुर्माना / जन विश्वास संशोधन में 10 लाख तक
धारा 63	बिना लाइसेंस व्यापार 6 माह जेल + 5 लाख जुर्माना
धारा 64	दोबारा अपराध दोगुनी सजा + लाइसेंस रद्द
धारा 65	मुआवजा मौत पर कम से कम 5 लाख, गंभीर चोट पर 3 लाख तक, छोटी चोट पर 1 लाख तक
धारा 28	फूड रिकॉल FSSAI / अधिकारी असुरक्षित भोजन को वापस मंगाने का आदेश दे सकते हैं
धारा 38	निरीक्षण, नमूना, जब्ती खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण का अधिकार

विशेष नोट: एक्सपायरी डेट मिटाकर नई तारीख लगाना सीधे धारा 52 (मिसब्रांडेड) और अगर भोजन असुरक्षित है तो धारा 59 (Unsafe Food) के दायरे में आता है। FSS (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के तहत पैकेज पर निर्माण तिथि, Best Before / Use By तिथि, बैच नंबर, FSSAI लोगो और लाइसेंस नंबर अनिवार्य है।

B. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) - 1 जुलाई 2024 से लागू - धारा - अपराध - दंड

धारा 274	बेचने के लिए खाद्य / पेय में मिलावट 6 माह तक जेल या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों
धारा 275	हानिकारक खाद्य / पेय बेचना 6 माह तक जेल या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों
धारा 318	धोखाधड़ी / ठगी 7 साल तक जेल + जुर्माना
धारा 336	कूटरचना / फर्जी मोहर बनाना 7 साल तक जेल + जुर्माना
धारा 338	कूटरचित दस्तावेज / मोहर का इस्तेमाल 7 साल तक जेल + जुर्माना
धारा 125	दूसरों की जान / सुरक्षा को खतरे में डालना 3 माह तक जेल या जुर्माना

नोट: BNS की धाराएं 274-275 में सजा कम है, पर FSS अधिनियम की धारा 59 ज्यादा सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने राम नाथ बनाम उत्तर प्रदेश में कहा है कि FSS अधिनियम की धारा 89 के कारण असुरक्षित भोजन के मामलों में FSS अधिनियम प्रभावी होगा। इसलिए जांच एजेंसियों को दोनों कानूनों को साथ में देखना होगा।

C. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 – धारा – प्रावधान

धारा 2(47)	अनुचित व्यापार व्यवहार - गलत तारीख, गलत लेबल, भ्रामक दावा
धारा 2(48)	दोषपूर्ण माल / सेवा
धारा 20	CCPA को जांच, रिकॉल, रिफंड, भ्रामक विज्ञापन पर रोक का अधिकार
धारा 89	भ्रामक विज्ञापन - 2 साल जेल + 10 लाख जुर्माना, दोबारा - 5 साल + 50 लाख
धारा 90	मिलावटी उत्पाद बनाना / बेचना - चोट न होने पर 6 माह + 1 लाख, गंभीर चोट पर 7 साल + 5 लाख, मौत पर 7 साल से आजीवन + 10 लाख से कम नहीं
धारा 91	नकली / स्प्यूरियस माल - चोट पर 1 साल + 3 लाख, गंभीर चोट पर 7 साल + 5 लाख, मौत पर 7 साल से आजीवन + 10 लाख से कम नहीं
धारा 84-87	उत्पाद दायित्व - निर्माता, सेवा प्रदाता, विक्रेता तीनों जिम्मेदार

उपभोक्ता के अधिकार: सुरक्षित सामान, सही जानकारी, शिकायत का निवारण, मुआवजा, जिला / राज्य / राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत। शिकायत अपने जिले से भी की जा सकती है।

D. अन्य लागू कानून

1. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 - कॉस्मेटिक के लिए बिना लाइसेंस, नकली, गलत लेबल वाला कॉस्मेटिक बेचना अपराध। एक्सपायरी कॉस्मेटिक से त्वचा रोग, एलर्जी, आंखों की समस्या हो सकती है।

2. विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 हर पैकेट पर MRP, नेट वजन, निर्माण तिथि, एक्सपायरी / Best Before, निर्माता का नाम-पता अनिवार्य है। तारीख मिटाना / बदलना सीधा उल्लंघन है।

3. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और पशु आहार नियम एक्सपायरी एनिमल फूड से जानवरों की मौत / बीमारी हो सकती है। यह पशुओं के प्रति क्रूरता और लापरवाही के दायरे में आता है। पशु मालिक भी उपभोक्ता के रूप में शिकायत कर सकते हैं।

4. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) नमूना लेना, जब्ती, पंचनामा, FSL भेजना, चार्जशीट - सभी प्रक्रिया BNSS के अनुसार होनी चाहिए, वरना सबूत अदालत में खारिज हो सकता है।

भाग 3 – न्यायिक आदेश और राजपत्रित अधिसूचनाएं

1. FSSAI की अधिसूचनाएं:

- खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2020 - राजपत्र में अधिसूचित
- खाद्य सुरक्षा और मानक (लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011
- FSSAI ने समय-समय पर एक्सपायरी भोजन के निपटान, लेबलिंग और FBO के दायित्वों पर निर्देश जारी किए हैं

2. महाराष्ट्र FDA का हालिया आदेश - मिसाल (अक्टूबर 2026)

महाराष्ट्र FDA ने एक्सपायरी भोजन के निपटान के लिए सख्त आदेश जारी किया है - एक्सपायरी माल के लिए अलग ताला-बंद जगह, PCB-अनुमोदित वेंडर से ही निपटान, वजन पर्ची, वाहन ट्रैकिंग, ई-वे बिल और टाइम-स्टांप वीडियो / फोटो प्रमाण अनिवार्य। 10 ठिकानों पर छापे में 5 करोड़ रुपये का माल जब्त, 6 लाइसेंस निलंबित, 2 FIR दर्ज। दिल्ली भी इसी मॉडल को अपना सकती है।

3. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सिद्धांत:

- सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड फूड सिक्योरिटी और अन्य जनहित याचिकाओं में कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना
- अनिता कुशवाहा बनाम पुष्प सदान - न्याय तक पहुंच अनुच्छेद 14 और 21 का हिस्सा है
- दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण, मिलावट और जनस्वास्थ्य मामलों में GRAP, FSSAI और दिल्ली सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं

4. दिल्ली सरकार की अधिसूचनाएं:

- दिल्ली में खाद्य सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य करता है
- दिल्ली में FSS अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, लाइसेंसिंग और नमूना जांच की व्यवस्था राजपत्रित नियमों से होती है

> संपादकीय नोट: गौतमपुरी मामले की कोई विशिष्ट FIR / कोर्ट आदेश अभी सार्वजनिक रूप से सत्यापित नहीं है। इसलिए इस लेख में किसी व्यक्ति / दुकान को दोषी नहीं ठहराया गया है। FIR नंबर, जब्ती सूची और FSL रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकलेगा।

भाग 4 – सभी पक्षों का संतुलित विश्लेषण

पक्ष 1 - उपभोक्ता / जनता का पक्ष: जनता कहती है - हमें सस्ता नहीं, सुरक्षित सामान चाहिए। डिस्काउंट के नाम पर एक्सपायरी सामान बेचना धोखा है। त्योहारों पर मांग बढ़ती है, इसलिए मिलावट का खतरा बढ़ जाता है। प्रशासन को पहले से ही छापेमारी करनी चाहिए थी।

पक्ष 2 – प्रशासन / सरकार का पक्ष: प्रशासन का कहना है - हमारे पास सीमित स्टाफ, सीमित लैब और बड़ी आबादी है। कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया से ही हो सकती है। बिना नमूना जांच और FSL रिपोर्ट के दुकान सील करना कोर्ट में टिकेगा नहीं। फिर भी अगर शिकायत सही है, तो जांच तेज होनी चाहिए।

पक्ष 3 – छोटे दुकानदार / व्यापारी का पक्ष: छोटे दुकानदार कहते हैं - हम थोक विक्रेता से माल लेते हैं, हमें नहीं पता कि तारीख बदली गई है। हमें भी धोखा दिया गया है। पूरी जांच में सप्लायर को भी पकड़ा जाए, सिर्फ रिटेलर को बलि का बकरा न बनाया जाए। यह बात सही है - जांच सप्लाई चेन तक जानी चाहिए।

पक्ष 4 – सप्लायर / थोक विक्रेता का पक्ष: अगर सप्लायर ने जानबूझकर एक्सपायरी माल को नई तारीख के साथ बेचा, तो वह मुख्य अपराधी है। अगर उसने भी किसी और से माल लिया, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल और स्टॉक रजिस्टर ही सच्चाई बताएंगे।

पक्ष 5 – कानूनी / मानवाधिकार पक्ष: कानून कहता है - जांच निष्पक्ष हो, सबूत वैज्ञानिक हों, सुनवाई का मौका मिले। मीडिया ट्रायल से किसी की दुकान, इज्जत और रोजी-रोटी बर्बाद नहीं होनी चाहिए।

भाग 5 – क्या होना चाहिए? – संपादकीय रोडमैप

तत्काल (24-72 घंटे में):

1. शिकायतों का पंजीकरण, FSS अधिकारी + पुलिस + जिला प्रशासन की संयुक्त टीम
2. संदिग्ध दुकानों / गोदामों का निरीक्षण, वीडियोग्राफी के साथ नमूना जब्ती
3. संदिग्ध उत्पादों की बिक्री पर अस्थायी रोक, लिखित आदेश के साथ
4. जनता को सार्वजनिक सूचना - कौन से बैच / ब्रांड संदिग्ध हैं

अल्पकालिक (7-15 दिन में):

5. FSL और NABL लैब में नमूनों की जांच
6. सप्लाई चेन की जांच - बिल, GST, गोदाम, ट्रांसपोर्ट
7. दोषी पाए जाने पर FIR, लाइसेंस निलंबन, चार्जशीट
8. पहले से बेचे गए उत्पादों का रिकॉल नोटिस

दीर्घकालिक (1-3 माह में):

9. गौतमपुरी सहित सभी बड़े बाजारों में मासिक औचक निरीक्षण का कैलेंडर
10. दिल्ली में महाराष्ट्र मॉडल की तरह एक्सपायरी निपटान के लिए वीडियो प्रमाण, लॉक्ड स्टोरेज और PCB-अनुमोदित निपटान अनिवार्य करना
11. दुकानदारों के लिए FSSAI प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर
12. उपभोक्ता जागरूकता - बिल लेना, तारीख जांचना, 1800-11-2100 (राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन) और FSSAI के FoSCoS पोर्टल पर शिकायत करना

जनता के लिए – खुद को कैसे बचाएं?

1. खरीदते समय: पैकेट पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी, बैच नंबर, FSSAI लोगो, MRP देखें। तारीख मिटी हुई, दोबारा चिपकाई हुई, धुंधली या ओवरप्रिंट लगे तो न खरीदें।
2. बिल जरूर लें: बिना बिल के शिकायत साबित करना मुश्किल होगा।
3. फोटो / वीडियो रखें: संदिग्ध पैकेट की फोटो, बिल और दुकान का नाम सुरक्षित रखें।
4. शिकायत कहां करें: खाद्य सुरक्षा विभाग दिल्ली, FSSAI, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-11-4000, जिला उपभोक्ता आयोग, दिल्ली पुलिस - 112
5. जानवरों के लिए: एनिमल फूड का भी बैच और एक्सपायरी जरूर देखें। संदिग्ध लगे तो पशु चिकित्सक से पूछें।

संपादकीय निष्कर्ष गौतमपुरी का मामला सिर्फ एक बाजार का मामला नहीं है। यह सवाल है कि क्या दिल्ली में त्योहारों पर जनता को सुरक्षित सामान मिलेगा या डिस्काउंट के नाम पर धोखा?

हमारी मांग स्पष्ट है - तत्काल कार्रवाई हो, वैज्ञानिक जांच हो, संदिग्ध उत्पादों की बिक्री रोकी जाए और पूरे कथित नेटवर्क का पर्दाफाश हो।

पर साथ ही हमारी मांग यह भी है कि जांच कानून के दायरे में हो, निर्दोष को न फंसाया जाए, सबूत वैज्ञानिक हों और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले।

क्योंकि जनता को डिस्काउंट के नाम पर धोखा नहीं, सुरक्षित सामान खरीदने का अधिकार चाहिए। यही संविधान कहता है, यही कानून कहता है, यही न्याय कहता है।

जनहित अपील: अगर आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई ठोस जानकारी, बिल, फोटो या वीडियो है, तो उसे सुरक्षित रखें और संबंधित विभाग को लिखित में दें। अफवाह न फैलाएं, सबूत दें।

स्रोत: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, भारतीय न्याय संहिता 2023, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, विधिक माप विज्ञान नियम, FSSAI विनियम, महाराष्ट्र FDA आदेश अक्टूबर 2026 और सार्वजनिक अभिलेखों के आधार पर। गौतमपुरी के विशिष्ट आरोपों की पुष्टि आधिकारिक FIR / FSL रिपोर्ट से ही होगी।

– संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

प्रदूषण के अंधकार में दीपावली की रोशनी कैसे मनाएं?

आस्था, परंपरा और उत्सव के नाम पर क्या हम आने वाली पीढियों की सांसों से समझौता कर सकते हैं? दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं, बल्कि राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र भी है। यहां देश के कोने-कोने से लोग अपने सपनों को साकार करने आते हैं। दिल्ली-एनसीआर ऐसा क्षेत्र है, जहां हर कोई बेहतर भविष्य, रोजगार और जीवन की संभावनाएं तलाशता है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस शहर को लोग अपने सपनों का ठिकाना बनाना चाहते हैं, उसी शहर की हवा आज उनकी जिंदगी के लिए खतरा बनती जा रही है। प्रदूषण की मार ऐसी है कि खुले आसमान के नीचे सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर प्रदूषण के इस घुटन भरे माहौल में हम दीपावली का पर्व कैसे मनाएं?

दीपावली भारतीय संस्कृति और परंपरा का ऐसा पर्व है, जिसका धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व सदियों पुराना है। यह अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। मान्यता है कि चौदह वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद भगवान श्रीराम जब माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे, तब उनके स्वागत में अयोध्यावासियों सहित पूरे अखंड भारत ने घर-घर दीप जलाकर खुशियां मनाई थीं। तभी से दीपावली का पर्व प्रकाश और उल्लास के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना कर सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की जाती है।लेकिन समय के साथ दीपावली मनाने के तौर-तरीकों में काफी बदलाव आया है। मिट्टी के दीपों, घरों की सजावट, पारिवारिक मेल-मिलाप और पारंपरिक मिठाइयों का स्थान धीरे-धीरे दिखावे और आतिशबाजी की प्रतिस्पर्धा ने ले लिया है। आसमान को रंग-बिरंगी रोशनी से भर देने की होड़ में हम यह भूल जाते हैं कि कुछ घंटों का हमारा मनोरंजन किसी दूसरे के लिए सांसों का संकट बन सकता है। हजारों की संख्या में छोड़े जाने वाले पटाखे वातावरण में जहरीले कण, धुआं और हानिकारक गैसें घोल देते हैं। इसका प्रभाव केवल दीपावली की रात तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पहले से प्रदूषित हवा की स्थिति को और गंभीर बना देता है।

दिल्ली-एनसीआर की स्थिति इस लिहाज से विशेष चिंता का विषय है। यहां पहले ही वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल, कूड़ा जलाने और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने जैसे अनेक कारणों से वायु प्रदूषण का दबाव बना रहता है। ऐसे में आतिशबाजी इस संकट को और बढ़ाने का काम करती है। इसका सबसे अधिक खामियाजा बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को भुगतना पड़ता है। कई मासूम बच्चे ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर होते हैं, जो उनके स्वस्थ बचपन और बेहतर भविष्य के लिए खतरा बन सकती है। प्रदूषण केवल आंखों में जलन, खांसी या सांस फूलने तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से हृदय और फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारियों का जोखिम भी बढ़ाता है।

विडंबना यह है कि हम एक ओर मां लक्ष्मी से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी ही गतिविधियों से जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति यानी स्वच्छ हवा को दूषित कर देते हैं। जिस दीपावली का



उद्देश्य जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता लाना है, क्या उसे धुएं और जहरीली हवा के बीच मनाना उचित है? क्या कुछ मिनटों की आतिशबाजी उन लोगों की तकलीफ से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, जिन्हें प्रदूषण के कारण अस्पतालों का रुख करना पड़ता है?

यहां यह समझना भी जरूरी है कि दीपावली पर पटाखे न चलाने की अपील किसी धार्मिक परंपरा या आस्था के विरोध में नहीं है। भारतीय संस्कृति तो प्रकृति को पूजने और उसके संरक्षण का संदेश देती रही है। हमारे पर्व और त्योहार भी प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे में पर्यावरण की रक्षा करना हमारी धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी का ही हिस्सा होना चाहिए।

भगवान श्रीराम के आदर्शों में मर्यादा, करुणा, त्याग और लोककल्याण का विशेष स्थान है। उनके आगमन की खुशी में मनाए जाने वाले पर्व पर यदि हम किसी दूसरे के जीवन को संकट में डालें, तो हमें अपनी उत्सव परंपरा के वास्तविक उद्देश्य पर विचार करना चाहिए।

सरकार और न्यायालय समय-समय पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाते रहे हैं। पटाखों की बिक्री, उनके इस्तेमाल और ध्वनि प्रदूषण को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। लेकिन केवल सरकारी आदेशों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। जब तक नागरिक स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई अधूरी रहेगी। यह भी जरूरी है कि नियमों का पालन केवल कागजों तक सीमित न रहे। प्रशासन को अवैध पटाखों की बिक्री और प्रतिबंधित आतिशबाजी पर प्रभावी निगरानी रखनी चाहिए। साथ ही पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी।

दीपावली की खुशी मनाने के लिए आतिशबाजी अनिवार्य नहीं है। हम मिट्टी के दीपक जलाकर, घरों को सजाकर, जरूरतमंद परिवारों की मदद करके, बच्चों को मिठाइयां बांटकर और परिवार के साथ समय बिताकर भी इस पर्व को यादगार बना सकते हैं। स्थानीय कुम्हारों से मिट्टी के दीप खरीदना न केवल हमारी परंपरा को जीवित रखेगा, बल्कि उनके रोजगार को भी सहारा देगा। सामूहिक रूप से दीपोत्सव आयोजित करना और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना इस पर्व को और अधिक सार्थक बना सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना होगा। क्या हम अपने बच्चों को ऐसा वातावरण देना चाहते हैं, जहां दीपावली के अगले दिन उन्हें स्वच्छ हवा के बजाय प्रदूषण की चादर मिले? क्या हम चाहते हैं कि त्योहारों की खुशी के बाद अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़े? यदि नहीं, तो बदलाव की शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी।

दीपावली अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाने का पर्व है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल अपने घरों को ही नहीं, बल्कि अपने विचारों को भी रोशन करें। आतिशबाजी के शोर और धुएं से ऊपर उठकर जीवन, स्वास्थ्य और प्रकृति को प्राथमिकता दें। आखिर त्योहार तभी सार्थक है, जब उसकी खुशियां सभी के हिस्से में आएं।

इस दीपावली संकल्प लें कि घर-आंगन में दीप जलेंगे, लेकिन किसी की सांसों में धुआं नहीं भरेंगे। क्योंकि असली दीपावली वही है, जिसमें रोशनी भी हो, खुशहाली भी हो और हर किसी के हिस्से में स्वच्छ हवा भी आए।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।
सौरभ वार्ष्णेय
B.Sc. (Hons.) Agriculture, LL.B., PGDJMC, MJ
लेखक। वरिष्ठ पत्रकार। चिंतक। राजनीतिक विचारक

तब की नारी 'देवी अहिल्या आज की नारी..???'

(लघु विश्लेषण)-- भूपेंद्र सारस्वत 'सारथी' स्वतंत्र लेखक व विश्लेषक.

देवी अहिल्या की कहानी हम सबने सुनी है। लेकिन सच कहूँ तो आज तक हमने इसे बस एक पौराणिक कहानी की तरह सुना.....

कि अहिल्या को श्राप मिला और भगवान राम के चरण पड़ते ही उन्हें मुक्ति मिल गई।

मगर जब इसी कहानी को आज की स्त्री की नज़र से देखो, तो इसमें बहुत सारे सवाल दिखाई देते हैं।

कहा जाता है कि अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थीं। इंद्र अहिल्या के सौंदर्य से मोहित थे। एक दिन उसने ऋषि गौतम का रूप धारण करके अहिल्या को छल लिया। कथा के अलग-अलग रूपों में यह बात अलग तरह से कही गई है कि अहिल्या को इंद्र का छल पता था या नहीं... ?लेकिन इतना तो साफ़ है कि छल इंद्र ने किया था।

जब ऋषि गौतम को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोध में अहिल्या को श्राप दे दिया.... कि वह पत्थर बन जाएँगी, और वर्षों तक इसी अवस्था में रहेंगी।

बाद में भगवान राम के आने और उनके चरण-स्पर्श से अहिल्या को उस श्राप से मुक्ति मिली।

लेकिन मुझे इस कहानी में सबसे ज्यादा यही बात परेशान करती है....

छल किसी और ने किया, फिर उसकी सज़ा अहिल्या को ही क्यों मिली... ?

इंद्र ने धोखा दिया, लेकिन अहिल्या को श्राप मिला।

और अगर उस समय की कथा को एक पल के लिए आज के समाज से जोड़कर देखें, तो क्या बहुत कुछ बदला है.... ?

आज भी किसी लड़की के साथ धोखा हो जाए तो सबसे पहले सवाल उसी से होते हैं।

"तुमने उस पर भरोसा ही क्यों किया... ?"

"उससे बात क्यों करती थीं.... ?"

"वहाँ गई ही क्यों थीं.... ?"

"तुम्हें समझ नहीं आया कि वह कैसा आदमी है... ?"

वगैरहा- वगैरहा.....

मतलब धोखा देने वाला अपनी जगह, लेकिन कटघरे में खड़ी अक्सर वही स्त्री होती है जिसके साथ धोखा हुआ।

अहिल्या तब पत्थर बनी थीं॥

आज की स्त्रियों को पत्थर बनाने के तरीके बस बदल गए हैं।

किसी को चरित्र के नाम पर चुप करा दिया जाता है,

किसी को तानों से तोड़ दिया जाता है,

किसी को परिवार ही अपना नहीं मानता,

और किसी की एक गलती या एक पुरानी बात को पूरी ज़िंदगी उसके माथे पर चिपका दिया जाता है।

फिर लोग कहते हैं...

"अब तो सब ठीक है, आगे बढ़ो।"

लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि जिस स्त्री को सालों तक उसकी ही कहानी सुनाकर शर्मिंदा किया गया, उसे आगे बढ़ने में कितना वक्त लगा होगा।

और सबसे अजीब बात देखिए

पुरुष की गलती को अक्सर "गलती" कहकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन स्त्री की गलती उसके चरित्र का हिस्सा बना दी जाती है।



यही वजह है कि मुझे अहिल्या की कहानी आज भी बहुत कुछ कहती हुई लगती है।

आज अहिल्या को किसी चमत्कार की नहीं, ऐसी सोच की ज़रूरत है जो उसे उसके अतीत से नहीं, उसके अस्तित्व से पहचाने।

किसी स्त्री को उसकी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से पहचानना बंद करना होगा। पहले उसकी पूरी बात सुननी होगी। यह समझना होगा कि उसके साथ क्या हुआ था, सिर्फ़ यह नहीं कि "उसने क्या किया।"

क्योंकि हर औरत को अपनी पुरानी ज़िंदगी की सज़ा उम्रभर भुगतते रहने के लिए पैदा नहीं किया गया है।

डिजिटल भुगतान में रिकॉर्ड तेजी, फिर भी UPI पर MDR लगाने की तैयारी से छोटे दुकानदारों में चिंता

डिजिटल इंडिया की सफलता और छोटे व्यापारियों की परेशानी के बीच संतुलन जरूरी।

लेखक संजीव महरोत्रा, वित्तीय विश्लेषक, बरेली (उ०प्र०).

प्रस्तुतकर्ता: भूपेंद्र सारस्वत 'सारथी'

भारत में डिजिटल भुगतान का चलन लगातार बढ़ रहा है। मोबाइल फोन के माध्यम से चाय की दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक भुगतान करना अब आम बात हो गई है। रेहड़ी-पटरी लगाने वाले छोटे दुकानदार भी ग्राहकों से UPI के माध्यम से भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच UPI भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के प्रस्ताव ने छोटे व्यापारियों के सामने नई चिंता खड़ी कर दी है।

बिजनेस लाइन में प्रकाशित खबर के अनुसार, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के एक अध्ययन में सामने आया है कि प्रस्तावित MDR व्यवस्था लागू होने पर बड़ी संख्या में छोटे दुकानदार और रेहड़ी-पटरी वाले UPI भुगतान लेना कम कर सकते हैं और दोबारा नकद लेन-देन की ओर लौट सकते हैं।

ISB के सेंटर फॉर एनालिटिकल फाइनेंस द्वारा किए गए इस अध्ययन में 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 722 रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को शामिल किया गया। अध्ययन के अनुसार, सर्वे में शामिल 67 प्रतिशत दुकानदार UPI से भुगतान स्वीकार करते हैं, लेकिन केवल 52 प्रतिशत को प्रस्तावित MDR व्यवस्था की जानकारी थी। खास बात यह है कि MDR लागू होने पर 45 से 53 प्रतिशत तक दुकानदार UPI भुगतान स्वीकार करना कम करने की बात कह रहे हैं।

यह सही है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को चलाने में बैंकों और भुगतान कंपनियों का खर्च आता है। इस खर्च की भरपाई का कोई व्यावहारिक रास्ता निकालना भी जरूरी है। लेकिन इसका बोझ छोटे दुकानदारों और आम उपभोक्ताओं पर डालने से पहले उसके परिणामों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

एक तरफ सरकार डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी तरफ अतिरिक्त शुल्क की व्यवस्था छोटे कारोबारियों को नकद भुगतान की ओर लौटने के लिए मजबूर कर सकती है। इससे डिजिटल लेन-देन की पारदर्शिता, छोटे व्यापारियों की बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने की प्रक्रिया और उनकी आर्थिक गतिविधियों का रिकॉर्ड प्रभावित हो सकता है।

इसलिए जरूरी है कि UPI व्यवस्था को आम आदमी और छोटे व्यापारियों के लिए सस्ता, सरल और सुविधाजनक बनाए रखा जाए। डिजिटल



भुगतान की सफलता केवल लेन-देन के बढ़ते आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होगी कि छोटे दुकानदार और आम नागरिक बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के इसका लाभ उठा सकें।

डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए जरूरी है कि उसे महंगा बनाने के बजाय अधिक सुलभ और भरोसेमंद बनाया जाए!!



अदिती कुशवाहा
बैकुंठपुर (कोरिया) छत्तीसगढ़ |

प्रभु श्री राम के नाम एक पैगाम

इतना न करो जात-पात के हितैषी,
प्रेम और संघर्ष का प्रतीक है यह दिवाली।

चेहरे पर मुस्कान तेरे भी है और मेरे भी,
राम का नाम लेता तू भी है और मैं भी।

खुशियों का यह प्रेमभरा त्योहार
हर किसी के घर में होना चाहिए,
चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो,
सिख हो या ईसाई हो।

हर घर में खुशियों के दीप जलें,
इसकी वजह तुम्हें भी बनना चाहिए।

न कर भेद तू जाति और धर्म का,
सबको मौका दे खुशियाँ मनाने का।

कुछ वस्तुएँ उनसे भी खरीद लेना,
जिन्होंने बड़े प्यार से तेरे त्योहार में
अपनी खुशियाँ जोड़ने की कोशिश की है।

यह प्रेम का रिश्ता है,
उन्होंने भी इसे निभाने की कोशिश की है।
तुम भी प्रेम से अब आगे बढ़ जाओ,
राम का नाम लेते-लेते
सारे जग से जाति और धर्म का भेद मिटाओ।

एक दीप गरीब के आंगन में भी जले

स्वतंत्र लेखक : हरिहर सिंह चौहान, जबरी बाग नसिया, इन्दौर (म.प्र.)

दीपावली रोशनी का पर्व है। लेकिन इस रोशनी का असली अर्थ तभी सार्थक होगा, जब गरीब मजदूर, रोजंदारी और दिहाड़ी पर काम करने वाले लोगों के घर-आंगन में भी एक दीप जले। ऐसा दीप, कि चारों ओर प्रकाश का उजाला फैल जाए।

उन्हें दो रोटी पेट भर मिले, दरिद्रता उनकी चौखट पर कदम न रखे, उनकी मेहनत का फल उन्हें और उनके परिजनों को मिले। ऐसी ही शुभ भावना हर मन में आए, हम सभी यही चाहते हैं।

रोशनी के इस पर्व पर दीपोत्सव का प्रकाश उनके मन में संतोष भर दे। उनके बच्चों को भी फुलझड़ी मिले, मिठाइयों का वह स्वाद उनको भी मिले। क्योंकि अंधेरे में जो बैठे हुए हैं, उन पर भी हम सबका ध्यान जाए, तो बात बने।

हम जानते हैं कि जीवन में खुशियाँ बहुत अनमोल होती हैं। तीज-त्योहार इन खुशियों में नई सोच, नए संकल्पों के साथ आपसी तालमेल, एकजुटता और सकारात्मकता की रोशनी भर देते हैं। त्योहारों पर परिजनों का आपस में जो वैचारिक मिलन होता है, वही जीवन में



मानवीय सरोकार का असली सूत्र माना गया है।

उदास मन और भाग-दौड़ भरे जीवन में खुशियाँ इन्हीं त्योहारों के सहारे जिंदगी को एक अलग वातावरण देती हैं। कब तक हम अर्थ-संग्रह की भाग-दौड़ में लगे रहेंगे, कब तक चारदीवारी और अकेलेपन में जीवन जिएंगे? कब तक कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन पर समय बिताते रहेंगे?

जबकि जीवन का असली मजा तो सब परिजनों के साथ ही आता है, जब सभी एक साथ बैठकर पूजा-अर्चना, हवन करते हैं, आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सुकून के साथ आनंदित होते हैं। त्योहार की मिठास में अमृतत्व मिल जाता है, यही पल बहुत यादगार बन जाते हैं।

भारतीय जनमानस में त्योहारों का सबसे ज्यादा महत्व है। आपाधापी में खुशियों भरा जीवन इन्हीं त्योहारों के कारण है। हमें इस पल को सकारात्मकता से जोड़े रखना है, क्योंकि सनातन संस्कृति, धर्म और संस्कार में पर्व-त्योहार और देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना का सबसे अलग महत्व है।

आइए, इस दीपावली पर हम संकल्प लें कि एक दीप अपने घर में जलाएंगे और एक दीप किसी गरीब के आंगन में भी जलाएंगे। यही सच्ची दीपावली होगी।

प्रेषक स्वतंत्र लेखक - हरिहर सिंह चौहान जबरी बाग नसिया इन्दौर

दीपावली पर महेश्वर के महालक्ष्मी माता मंदिर में होगा विशेष पूजन-अभिषेक

परिवहन विशेष न्यूज

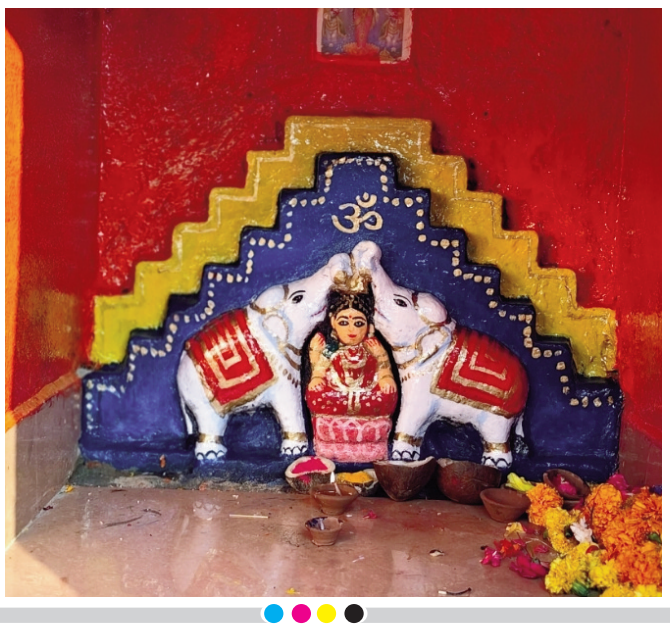
महेश्वर, 8 नवंबर। दीपावली पर्व पर नगर के नर्मदा तट पर मातंगेश्वर घाट के पहले नाव घाट के पास श्री लक्ष्मी यंत्र पर स्थापित प्राचीन महालक्ष्मी माता मंदिर में विशेष पूजन-अर्चन व अभिषेक किया जाएगा

दपावली की भोर से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ उमड़ेगी। श्रद्धालु दीपक जलाकर, माला व फूलों से मंदिर को सजाकर माता का पूजन-अर्चन करेंगे।

मंदिर के पुजारी पंडित प्रदीप शर्मा ने बताया कि यह मूर्ति अत्यंत चमत्कारी है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के पास स्थित श्री लक्ष्मीकुंड का जल आदि व्याधि व बंधावों को दूर करने वाला माना जाता है।

उन्होंने बताया कि हर शुक्रवार व अमावस्या को मंदिर में विशेष पूजा होती है। दीपावली के दिन केवट संघ द्वारा मंदिर को फूलों, मालाओं एवं दीपकों से भव्य रूप से सजाया जाता है और रात्रि में दूध के प्रसाद का वितरण किया जाता है।

केवट संघ के रिंकू केवट, कृष्ण केवट, जितेंद्र केवट, मुकेश सदाशिव केवट ने सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह किया है कि दीपावली के पावन पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पुण्य लाभ प्राप्त करें।



यादों से रोशन दिवाली (कहानी)

दिवाली आने वाली थी। बाजार रंग-बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहे थे। घरों में सफाई चल रही थी, मिठाइयों की खुशबू गलियों में फैल रही थी और बच्चे नए कपड़ों तथा पटाखों को लेकर उत्साहित थे। हर कोई अपनों के साथ त्योहार मनाने की तैयारियों में जुटा था। लेकिन आरुष के लिए दिवाली का अर्थ कुछ अलग था। वह एक अर्धसैनिक बल का जवान था। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर, घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम सीमावर्ती चौकियों के बीच उसकी जिंदगी गुजर रही थी। कभी बर्फीली हवाएं तो कभी जंगलों की खामोशी उसकी साथी थीं। त्योहारों पर घर की याद जरूर सताती थी, लेकिन वर्दी पहनते ही वह अपनी भावनाओं को जिम्मेदारियों के पीछे छिपा लेता था।एक दिन उसके अधिकारी ने उसे बुलाया और एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी। कुछ ही दिनों बाद एक शहीद जवान का शहीद दिवस था। फोर्स (बल) की ओर से उनके पैतृक गांव के राजकीय विद्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। आरुष को वहां जाकर शहीद की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करनी थी, उनकी पत्नी को सम्मानस्वरूप शॉल ओढ़ानी थी, एक सिलाई मशीन भेंट करनी थी और गांव के बच्चों में मिठाइयां वितरित करनी थीं।

अधिकारी ने कहा, 'आरुष, याद रखना, हम केवल एक शहीद को श्रद्धांजलि देने नहीं जा रहे, बल्कि उस परिवार के पास जा रहे हैं जिसने देश के लिए अपना सबसे अनमोल रिश्ता खोया है। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं।' आरुष ने आदेश स्वीकार किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह जिम्मेदारी उसके हृदय पर इतनी गहरी छाप छोड़ जाएगी। निर्धारित दिन वह वर्दी पहनकर आवश्यक सामान के साथ गांव पहुंचा। गांव में दिवाली की चहल-पहल थी। बच्चे घरों के बाहर खेल रहे थे और महिलाएं आंगन में रंगोली बना रही थीं। विद्यालय के प्रांगण में शहीद की प्रतिमा तिरंगे के रंगों से सजी हुई थी। आरुष ने प्रतिमा के सामने पहुंचकर सावधान की मुद्रा में सैल्यूट किया। कुछ क्षण तक वह तस्वीर को निहारता रहा। उसे लगा जैसे वर्दी पहने वह जवान अभी बोल पड़ेगा और अपने किसी साथी को आवाज लगाएगा। थोड़ी देर बाद शहीद की पत्नी विद्यालय पहुंचीं। चेहरे पर शांत और संघर्ष की लकीरें थीं। आंखों में एक ऐसा खालीपन था, जिसे देखकर किसी का भी हृदय भर आए। आरुष ने आगे बढ़कर उन्हें नमस्कार किया और अपना परिचय दिया। जैसे ही उन्होंने सुना कि वह भी उनके पति के ही बल का जवान है, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने आरुष के कंधे पर लगे बैज को छुआ और कुछ क्षण उसे देखती रहीं। फिर धीमे स्वर में बोलीं, 'बेटा, तुम्हारी यह वर्दी देखकर ऐसा लगता है जैसे आज मेरा अपना घर लौट आया हो।' आरुष के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस उनके सामने सिर झुका लिया। कुछ ही समय में कार्यक्रम शुरू हुआ। आरुष ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की और सैल्यूट किया। विद्यालय के बच्चों ने देशभक्ति गीत गाया। इसके बाद उसने शहीद की पत्नी को शॉल ओढ़ाई और सिलाई मशीन भेंट करते हुए कहा, 'भाताजी, यह हमारे बल की ओर से एक छोटी-सी भेंट है। हम चाहते हैं कि आप इसे अपनी आजीविका का साधन बनाएं।' शॉल को अपने कंधों पर संभालते हुए उन्होंने कहा, 'बेटा, जब ये आखिरी बार घर से गए थे, तब मैंने इन्हें अपनी पसंद का स्वेटर बुनकर दिया था। इन्होंने कहा था कि अगली दिवाली पर तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आऊंगा। देखो बेटा, साड़ी तो नहीं आई, लेकिन आज तुम्हारे हाथों से यह शॉल मिल गई।' इतना कहते ही उनका गला भर आया। वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। मिठाई वितरण के दौरान एक छोटा बच्चा आरुष के पास आया और पूछने लगा, 'अंकल, ये जिनकी मूर्ति लगी है, क्या ये भी आपकी तरह फौजी थे?' आरुष ने मुस्कराकर कहा, 'हां बेटा, ये हम सबके लिए देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे।' बच्चा फिर बोला, 'तो क्या ये दिवाली पर घर नहीं आएंगे?' इस मासूम सवाल ने आरुष को भीतर तक झकझोर दिया। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, 'बेटा, अब ये हर दिवाली हमारे दिलों में आएंगे।' पास खड़ी शहीद की पत्नी ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। शायद वह नहीं चाहती थीं कि कोई उनके आंसू देखे। कार्यक्रम के बाद उन्होंने आरुष को अपने घर आने का आग्रह किया। घर की दीवार पर शहीद की वर्दी पहने तस्वीर लगी थी। उसके सामने एक छोटा-सा दीपक जल रहा था। तस्वीर के नीचे एक पुराना पत्र रखा था। महिला ने कांपते हाथों से पत्र उठाया और आरुष को देते हुए कहा, 'यह आखिरी पत्र है, जो इन्होंने मुझे भेजा था। इसमें लिखा था कि इस दिवाली बच्चों के लिए मिठाई और मेरे लिए एक साड़ी लेकर आएंगे। तब से हर दिवाली मैं इनके लौटने का इंतजार नहीं करती, बस इनकी तस्वीर के सामने एक दीपक जला देती हूं।' पत्र के आखिरी शब्द थे- 'अपना और बच्चों का ख्याल रखना, इस बार दिवाली साथ मनाएंगे।' आरुष की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे लगा जैसे उस पत्र में लिखे शब्द आज भी किसी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हों। विदा लेते समय महिला ने आरुष के माथे पर तिलक लगाया और उसके हाथ में मिठाई का एक डिब्बा थमाते हुए बोलीं, 'बेटा, इसे अपनी मां के साथ खाना। और हां, अपनी मां को फोन जरूर करना। वह भी तुम्हारी राह देखती होगी।' आरुष कुछ बोल नहीं पाया। उसने उनके चरण स्पर्श किए और भारी मन से लौट आया। रात को चौकी पहुंचकर उसने मां को फोन किया। मां ने हमेशा की तरह पूछा, 'बेटा, इस दिवाली घर आ पाएगा न?' तेरे बिना घर सूना लगता है।' आरुष की आंखें भर आईं। उसने कहा, 'मां, इस बार नहीं आ पाऊंगा। आज एक ऐसी मां से मिलकर आया हूं, जिसका बेटा अब कभी घर नहीं लौटेगा। मां, मैं ठीक हूं, बस उस मां की आंखें भूल नहीं पा रहा।' मां कुछ देर चुप रही, फिर बोली, 'बेटा, अपना ख्याल रखना। देश की रक्षा करना। हम यहां दीपक जला लेंगे, तुम वहां अपना फर्ज निभाना।' फोन रखने के बाद आरुष चौकी के बाहर आया। उसने एक छोटा-सा दीपक जलाया और शहीद को याद करते हुए आसमान की ओर देखा। उस रात उसे समझ आया कि कुछ घरों में दिवाली दीयों से नहीं, यादों से रोशन होती है। कुछ आंगन ऐसे भी हैं, जहां हर साल रंगोली तो सजती है, लेकिन घर का एक सदस्य कभी लौटकर नहीं आता।

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - विशेष संपादकीय / दीपावली महा-विश्लेषण / वैश्विक सांस्कृतिक उत्सव विशेष

दीपावली 2026 का वैश्विक महाकुंभ - माँ लक्ष्मी का पृथ्वी पर भ्रमण, अयोध्या से टाइम्स स्क्वायर और व्हाइट हाउस तक दीपों का महासागर

करोड़ों घर जगमगाएंगे, मां महालक्ष्मी की कृपा से दरिद्रता से संपन्नता, अज्ञान से ज्ञान और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश | भारतवंशियों का ऐतिहासिक सांस्कृतिक उत्सव और विश्वभर में गूंजता भारत

लेखक: एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया (महाराष्ट्र)

तथ्य एक नज़र में

बिंदु	*विवरण*
पर्व	दीपावली 2026
तिथि	रविवार, 8 नवंबर 2026, कार्तिक अमावस्या
मुख्य पूजन	माँ महालक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान श्रीराम
केंद्रीय संदेश	अंधकार से प्रकाश, दरिद्रता से संपन्नता, अज्ञान से ज्ञान
भारत में केंद्र	अयोध्या - दीपोत्सव, श्रीराम की वापसी का उत्सव
अमेरिका में केंद्र	व्हाइट हाउस - 6 नवंबर 2026, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दीप प्रज्वलित किया
विश्व में	न्यूयॉर्क, लंदन, टोरंटो, सिडनी, सिंगापुर, दुबई सहित अनेक शहरों में आयोजन
सरकारी अवकाश	केंद्र सरकार की राजपत्रित अवकाश सूची में 8 नवंबर को दीपावली अवकाश - रविवार होने के कारण अलग से प्रतिपूर्ति अवकाश सामान्यतः नहीं
पर्यावरण नियम	दिल्ली-NCR में 7-8 नवंबर को प्रमाणित हरित पटाखों की सीमित अनुमति, सुबह 6-7 और रात 8-10 बजे तक
अन्य परंपराएं	जैन - भगवान महावीर निर्वाण दिवस, सिख - बंदी छोड़ दिवस

मुख्य बिंदु

1. धार्मिक मान्यता: कार्तिक अमावस्या की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। स्वच्छ, पवित्र, सदाचारी घरों में उनका स्वागत होता है।

2. लक्ष्मी के 8 स्वरूप: आदिलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, सौभाग्यलक्ष्मी, अमृतलक्ष्मी, कामलक्ष्मी, सत्यलक्ष्मी, भोगलक्ष्मी और योगलक्ष्मी - समृद्धि सिर्फ धन नहीं, विद्या, स्वास्थ्य, सौभाग्य और संतोष भी है।

3. लक्ष्मी + गणेश का संगम: लक्ष्मी समृद्धि की प्रतीक, गणेश सद्बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता। धन के साथ सद्बुद्धि ही कल्याणकारी संपन्नता है।

4. श्रीराम की अयोध्या वापसी: 14 वर्ष वनवास के बाद श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण की वापसी पर अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। यही धर्म, सत्य, न्याय और मर्यादा की विजय है।

5. वैश्विक उपस्थिति: व्हाइट हाउस में दीप प्रज्वलन, दुबई में नूर फेस्टिवल, सिंगापुर के लिटिल इंडिया में उत्सव - भारतीय संस्कृति अब विश्व संस्कृति का हिस्सा है।

6. हरित दीपावली: मिट्टी के दीपक, प्राकृतिक रंगोली, कम ध्वनि, जरूरतमंदों को मिठाई और उपहार - यही सच्ची दीपावली है।

भाग 1 - धार्मिक मान्यता: माँ महालक्ष्मी की कृपा और दरिद्रता से संपन्नता वैश्विक स्तर पर दीपावली केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, आध्यात्मिक चेतना, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सद्भाव और विश्व सांस्कृतिक एकता का ऐसा महापर्व है, जिसकी रोशनी अब भारत की सीमाओं को पार कर पूरी दुनिया में फैल चुकी है।

रविवार 8 नवंबर 2026 को कार्तिक अमावस्या के अवसर पर भारत सहित विश्व के अनेक देशों में दीपावली मनाई जाएगी। इस अवसर पर करोड़ों भारतवंशी अपने घरों, मंदिरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थलों को दीपमालाओं से सजाकर मां महालक्ष्मी, भगवान गणेश तथा भगवान श्रीराम की आराधना करेंगे।

भारतीय परंपरा में मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या की रात्रि मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और स्वच्छता, पवित्रता, सदाचार तथा श्रद्धा से परिपूर्ण घरों में उनका स्वागत किया जाता है। भक्तजन विश्वास के साथ मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार से आर्थिक संकट, दरिद्रता और कष्ट दूर हों तथा घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य, धन-धान्य और समृद्धि का वास हो।

लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि बरसाने निकली हैं, जिस पर नज़र पड़ी उसकी किस्मत निहाल, धन-धान्य से मालामाल - ऐसी मान्यता है।

मां महालक्ष्मी के आठ स्वरूपों की अवधारणा भी समृद्धि के व्यापक दर्शन को सामने रखती है। आदिलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, सौभाग्यलक्ष्मी, अमृतलक्ष्मी, कामलक्ष्मी, सत्यलक्ष्मी, भोगलक्ष्मी और योगलक्ष्मी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि वास्तविक संपन्नता केवल बैंक खाते, सोने-चांदी अथवा भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्या, सदाचार, स्वास्थ्य, सौभाग्य, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति भी लक्ष्मी के ही व्यापक स्वरूप हैं।

इस दर्शन को प्रातः काल की प्रचलित प्रार्थना 'कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती' भी सुंदर रूप में अभिव्यक्त करती है। इसका भावार्थ है कि मनुष्य के हाथों में कर्म, ज्ञान और सदाचार की शक्ति विद्यमान है। अर्थात केवल मां लक्ष्मी से धन मांगना पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने हाथों से ईमानदार परिश्रम करना, जरूरतमंदों की सहायता करना और किसी का अहित न करना भी आवश्यक है।

दीपावली पर मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा का भी यही गहरा संदेश है। लक्ष्मी समृद्धि की प्रतीक हैं और गणेश सद्बुद्धि, विवेक तथा शुभारंभ के अधिष्ठाता माने जाते हैं। धन के साथ सद्बुद्धि का संगम ही वास्तविक कल्याणकारी संपन्नता है। विवेकहीन धन अहंकार, अनैतिकता और विनाश का कारण बन सकता है, जबकि ईमानदारी से अर्जित संपत्ति परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देती है।

भाग 2 - भगवान श्रीराम की अयोध्या वापसी: सत्य, न्याय और मर्यादा की विजय मान्यता है कि भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मणजी चौदह वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर संपूर्ण नगरी को प्रकाशमय कर दिया था। तभी से दीपावली को धर्म, सत्य, न्याय और मर्यादा की विजय के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है।

इस प्रकार दीपावली के दो प्रमुख आध्यात्मिक संदेश सामने आते हैं:

- पहला: मां महालक्ष्मी की आराधना के माध्यम से आर्थिक और आध्यात्मिक समृद्धि की कामना

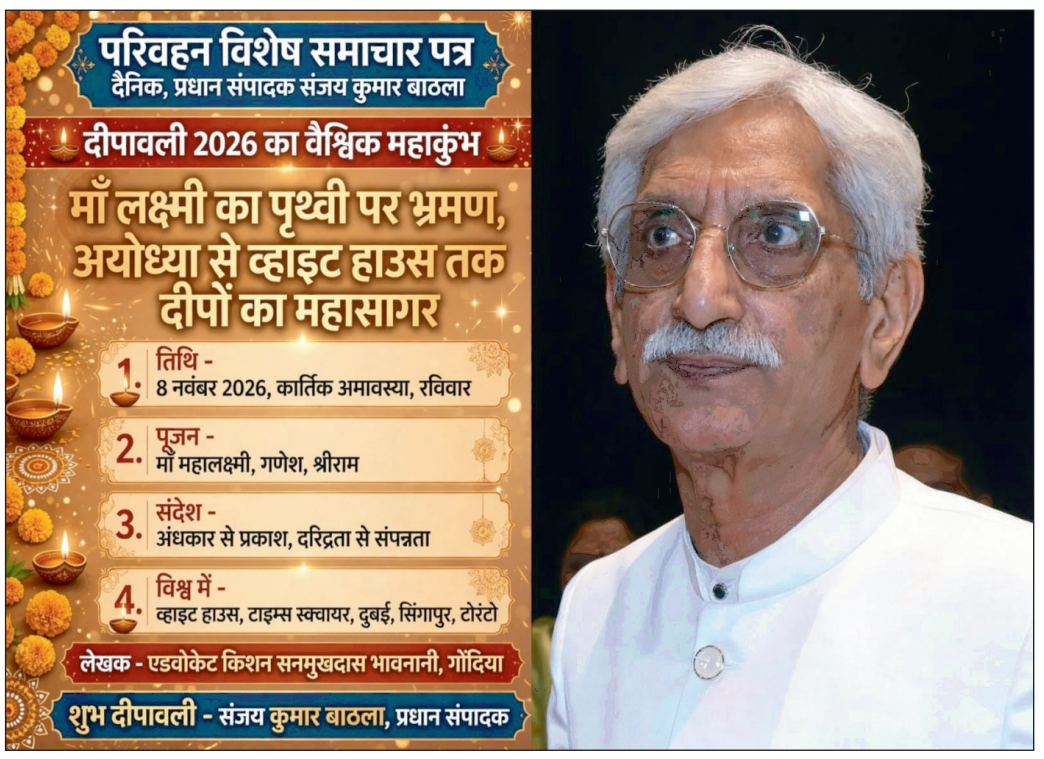
- दूसरा: भगवान श्रीराम के आदर्शों के माध्यम से सत्य, कर्तव्य, न्याय और सुशासन की स्थापना

यही कारण है कि दीपावली घरों में पूजा का पर्व होने के साथ-साथ सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का भी महापर्व बन गई है।

भाग 3 - शासकीय, प्रशासनिक और सार्वजनिक अवकाश: क्या है स्थिति? केंद्र सरकार की वर्ष 2026 की राजपत्रित अवकाश सूची में 8 नवंबर को दीपावली का अवकाश दर्ज है। लेकिन इस बार यह रविवार को पड़ रही है।

केंद्र सरकार के अवकाश संबंधी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि साप्ताहिक अवकाश के दिन पड़ने वाले त्योहार के लिए सामान्यतः अतिरिक्त प्रतिपूर्ति अवकाश नहीं दिया जाएगा। हालांकि अलग-अलग राज्यों में सरकारी कार्यालयों, बैंकों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और स्थानीय संस्थानों के अवकाश संबंधी आदेश अलग हो सकते हैं।

डाक विभाग की अखिल भारतीय अवकाश सूची में भी 8 नवंबर को दीपावली का अवकाश दर्ज है। इसका अर्थ है कि रविवार होने के कारण



सामान्यतः सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों और अधिकांश संस्थानों में पहले से ही साप्ताहिक छुट्टी रहेगी, जबकि निजी प्रतिष्ठानों के नियम अलग हो सकते हैं।

संपादकीय नोट: अपने राज्य / जिले के आदेश से अवकाश की पुष्टि अवश्य करें।

भाग 4 - अमेरिका: व्हाइट हाउस में दीपावली उत्सव इस वर्ष एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 नवंबर 2026 को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के प्रमुख सदस्यों, अधिकारियों और उद्योगपतियों के साथ दीपावली समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया।

इस कार्यक्रम में भारत के अमेरिका स्थित राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, प्रसिद्ध भारतीय शेफ विकास खन्ना, उद्यमी विशाल गोंडल, आईबीएम के प्रमुख अरविंद कृष्णा, माइक्रोन के प्रमुख संजय मेहरोत्रा, एफबीआई निदेशक काश पटेल तथा अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक जय भट्टाचार्य सहित अनेक प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं।

उद्यमी विशाल गोंडल ने राष्ट्रपति ट्रंप को तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा की प्रति भेंट की। इस आयोजन ने अमेरिकी प्रशासन के सर्वोच्च राजनीतिक कार्यालय में भारतीय संस्कृति की उपस्थिति को एक बार फिर रेखांकित किया।

भाग 5 - विश्व के विभिन्न देशों में भारतवंशियों की दीपावली भारतीय संस्कृति का यह पर्व अब अंतरराष्ट्रीय सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

अमेरिका: न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, शिकागो और टेक्सास जैसे क्षेत्रों में भारतीय समुदाय मंदिरों, सामुदायिक केंद्रों और निजी आवासों में लक्ष्मी-गणेश पूजन, दीपदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक भोज का आयोजन करते हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर सहित अनेक सार्वजनिक स्थलों पर भारतीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों की चर्चा रहती है।

कनाडा: टोरंटो, ब्रैम्पटन और वैंकूवर में भारतीय समुदाय दीपावली को परिवार, सामाजिक मेल-मिलाप, संगीत, नृत्य और सामुदायिक उत्सव के रूप में मनाता है।

ऑस्ट्रेलिया: सिडनी और मेलबर्न में भी मंदिरों तथा भारतीय संगठनों के माध्यम से दीपावली के आयोजन होते हैं।

सिंगापुर: लिटिल इंडिया क्षेत्र में दीपों, सजावट और भारतीय व्यंजनों से उत्सव का वातावरण बनता है।

ब्रिटेन - महत्वपूर्ण अपडेट: लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर में 25 अक्टूबर को प्रस्तावित आधिकारिक दीपावली समारोह खराब मौसम और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण रद्द कर दिया गया था। इसलिए उसे 8 नवंबर को होने वाला निश्चित कार्यक्रम बताना सही नहीं होगा।

संयुक्त अरब अमीरात - दुबई: दुबई के सुक अल सीफ में 7 और 8 नवंबर को नूर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रकाश की शोभायात्रा, ढोल, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियां शामिल हैं। दुबई के मिरेकल गार्डन में भी 7 नवंबर को भारतीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, रंगोली, दीप सजावट और रोशनी से जुड़ा विशेष आयोजन निर्धारित है।

इन आयोजनों से स्पष्ट होता है कि भारतवंशी जहां भी बसे हैं, उन्होंने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को जीवित रखा है और स्थानीय समाज को भी इस उत्सव से जोड़ने का प्रयास किया है।

भाग 6 - पर्यावरण संरक्षण और हरित दीपावली उत्सव का वास्तविक आनंद तभी सार्थक है जब उससे दूसरे नागरिकों, बच्चों, बुजुर्गों, पशु-पक्षियों और प्रकृति को नुकसान न पहुंचे।

इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-NCR के लिए 7 और 8 नवंबर को प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री तथा उपयोग की सीमित अनुमति दी है। पटाखे केवल सुबह 6 से 7 बजे और रात्रि 8 से 10 बजे तक चलाए जा सकते हैं। अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, शिक्षण संस्थानों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर रोक है। यह अस्थायी छूट केवल निर्धारित दो दिनों के लिए है और 9 नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध फिर बहाल होना है।

यह आदेश विशेष रूप से दिल्ली-NCR के लिए है, इसे पूरे भारत में एक समान लागू आदेश नहीं समझना चाहिए। अन्य राज्यों में संबंधित स्थानीय प्रशासन के नियमों का पालन करना जरूरी है।

मिट्टी के दीपक, प्राकृतिक रंगोली, कम ध्वनि वाले उत्सव और जरूरतमंदों के बीच मिठाई तथा उपहार बांटना दीपावली की खुशियों को और अधिक व्यापक बना सकता है

भाग 7 - वैश्विक सांस्कृतिक और कूटनीतिक महत्व आज यह पर्व भारत की सांस्कृतिक पहचान, प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों और अंतरराष्ट्रीय सामाजिक संवाद का माध्यम बन चुका है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप का दीप प्रज्वलन, अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की रामलीला, दुबई के सार्वजनिक उत्सव और विभिन्न देशों में भारतीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी इस सांस्कृतिक विस्तार के उदाहरण हैं।

दीपावली हिंदू समुदाय के साथ-साथ जैन और सिख परंपराओं में भी विशेष महत्व रखती है। जैन धर्म में भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में दीपावली का महत्व है, जबकि सिख इतिहास में यह बंदी छोड़ दिवस के रूप में स्मरण किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं प्रकाश, स्वतंत्रता, आत्मज्ञान और सद्भाव के संदेश को अपने-अपने तरीके से अभिव्यक्त करती हैं।

संपादकीय निष्कर्ष - समग्र विश्लेषण 8 नवंबर 2026 की दीपावली केवल दीपों की जगमगाहट, मिठाइयों की मिठास और लक्ष्मी पूजन तक सीमित नहीं है। यह भारत की आध्यात्मिक विरासत, भगवान श्रीराम के आदर्शों, मां महालक्ष्मी की आराधना, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक एकता और वैश्विक सांस्कृतिक पहचान का संगम है।

हमें मां लक्ष्मी से केवल धन नहीं, बल्कि ऐसी समृद्धि मांगनी चाहिए जिसमें विद्या, स्वास्थ्य, ईमानदारी, सद्बुद्धि और दूसरों के प्रति संवेदना भी शामिल हो। भगवान श्रीराम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र में सत्य, न्याय और सद्भाव के दीप जलाने चाहिए।

आइए, इस दीपावली पर हम संकल्प लें कि किसी जरूरतमंद के घर भी खुशियों का दीप पहुंचे, किसी गरीब बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आए, किसी परिवार की निराशा दूर हो और मानवता का प्रकाश सीमाओं से ऊपर उठकर पूरी दुनिया को आलोकित करे।

मां महालक्ष्मी सभी के घरों में सुख, शांति, स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और समृद्धि का प्रकाश फैलाएं। भगवान श्रीराम के आदर्शों से विश्व में सत्य, न्याय और मानवता की स्थापना हो।

सभी भारतवासियों, प्रवासी भारतीयों और विश्व समुदाय को दीपावली 2026 की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं!

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com



पिंकी कुंडू

आज का साइबर सुरक्षा विचार

अर्जेंट अलर्ट फॉर Android 14-17 यूजर्स

अगर आप Android 14-17 उपयोग करते है तो अपने उपकरणों को कम से कम Security Patch Level 2026-11-01 तथा अधिमानतः 2026-11-05 या उससे नवीनतम संस्करण पर तुरंत अपडेट करें। यह किसी हमलावर को बिना आपकी सहभागिता (Zero-Click) के प्रभावित डिवाइस पर मनचाहा कोड चलाने (Remote Code Execution) से बचाव के लिए जरुरी है।

CVE-2026-58868: एंड्रॉइड की गंभीर रिमोट कोड एक्जीक्यूशन (RCE) भेद्यता

CVE-2026-58868 एंड्रॉइड फ्रेमवर्क में पाई गई एक अत्यंत गंभीर सुरक्षा खामी है, जिसे गूगल ने नवंबर 2026 के एंड्रॉइड सुरक्षा बुलेटिन में उजागर किया।

तकनीकी विवरण

यह कमजोरी FrameDecoder.cpp फ़ाइल के onOutputReceived फ़ंक्शन में मौजूद Heap Buffer Overflow के कारण उत्पन्न होती है। इस त्रुटि के चलते हमलावर मेमोरी की निर्धारित सीमा से बाहर डेटा लिख सकता है (Out-of-Bounds Write), जिससे मनमाना कोड निष्पादित किया जा सकता है।

मुख्य तथ्य:

- CVE संख्या: CVE-2026-58868
- गंभीरता: Critical (CVSS Score 9.8)
- प्रभावित संस्करण: Android 14, 15, 16, 16 QPR2 एवं 17
- हमले का प्रकार: Remote Code Execution (RCE)
- यूजर इंटरैक्शन: आवश्यक नहीं
- विशेषाधिकार (Privileges): आवश्यक नहीं
- हमले की स्थिति: प्रकटीकरण के समय सक्रिय दुरुपयोग (Active Exploitation) की पुष्टि नहीं हुई थी।

यह भेद्यता इतनी खतरनाक क्यों है?

सामान्यतः साइबर हमलों में उपयोगकर्ता को किसी लिंक पर क्लिक करना, फाइल खोलना या कोई ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन CVE-2026-58868 में हमलावर को इनमें से कुछ भी कराने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इसे Zero-Click Vulnerability कहा जाता है।

यदि इसका सफलतापूर्वक दुरुपयोग किया जाए, तो हमलावर:

- डिवाइस पर मनमाना कोड चला सकता है।
- संवेदनशील डेटा चुरा सकता है।
- स्पाइवेयर या मैलवेयर इंस्टॉल कर सकता है।
- कॉल, संदेश और अन्य गतिविधियों की निगरानी कर सकता है।
- कॉर्पोरेट नेटवर्क में प्रवेश प्राप्त कर सकता है।
- डिवाइस की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है।



पैच (Security Patch) की भूमिका

Google ने इस कमजोरी को नवंबर 2026 एंड्रॉइड सुरक्षा अपडेट के माध्यम से ठीक किया।

पैच कैसे सुरक्षा प्रदान करता है?

सुरक्षा पैच ने उस त्रुटिपूर्ण मेमोरी-हैंडलिंग लॉजिक को सुधार दिया जो Heap Buffer Overflow का कारण बन रही थी। पैच लागू होने के बाद:

1. मेमोरी बाउंड्री (Memory Boundary) की उचित जांच की जाती है।
2. Out-of-Bounds Write की संभावना समाप्त हो जाती है।
3. हमलावर मेमोरी को ओवरराइट नहीं कर सकता है।
4. Remote Code Execution का मार्ग बंद हो जाता है।
5. प्रभावित फ्रेमवर्क कंपोनेंट सुरक्षित रूप से इनपुट को प्रोसेस करता है।

कौन-सा पैच स्तर सुरक्षित है?

Google के अनुसार:

- Android Security Patch Level 2026-11-01 या उससे नया संस्करण CVE-2026-58868 के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
- Android Security Patch Level 2026-11-05 या उससे नया संस्करण नवंबर 2026 बुलेटिन की सभी कमजोरियों के लिए व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है।

पैच प्रबंधन में चुनौतियाँ

हालांकि Google ने सुधार जारी कर दिया है, लेकिन एंड्रॉइड पारिस्थितिकी तंत्र में पैच का वितरण विभिन्न निर्माताओं और मोबाइल सेवा प्रदाताओं पर निर्भर करता है।

इसका कारण:

- कुछ डिवाइसों को अपडेट तुरंत मिल जाता है।
- कई OEMs और कैरियर अपडेट जारी करने में सप्ताहों या महीनों का समय लेते हैं।
- पुराने अथवा असमर्थित (Unsupported) डिवाइसों को कभी भी पैच नहीं मिल सकता।

साइबर सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्व

यह भेद्यता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि:

- किसी फ़िशिंग ईमेल, दुर्भावनापूर्ण लिंक या एपइंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है।
- संगठनात्मक BYOD (Bring Your Own Device) वातावरण को गंभीर जोखिम हो सकता है।
- संवेदनशील सरकारी, वित्तीय तथा कॉर्पोरेट सूचनाओं की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
- मोबाइल डिवाइस एंटरप्राइज नेटवर्क पर हमले का प्रारंभिक बिंदु बन सकते हैं।

CVE-2026-58868 एंड्रॉइड की एक अत्यंत गंभीर Zero-Click Remote Code Execution भेद्यता है, जो Heap Buffer Overflow के कारण उत्पन्न हुई। यह हमलावर को बिना किसी उपयोगकर्ता कार्रवाई के प्रभावित डिवाइस पर कोड निष्पादित करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। Google द्वारा जारी नवंबर 2026 सुरक्षा पैच ने इस कमजोरी को दूर कर दिया है।

जिस प्रदेश के थानों पर लगते बलात्कार का आरोप वहां वर्षों से खाली पड़ी है महिला आयोग की कुर्सियां

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, झेलझारखंड की आधी आबादी के न्याय और अधिकारों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संवैधानिक संस्था 'झारखंड राज्य महिला आयोग' पिछले छह वर्षों से अधिक समय से अध्यक्ष और सदस्यों के बिना अक्रियाशील बनी हुई है. आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष कल्याणी शरण और उनकी पांच सदस्यीय टीम का कार्यकाल 6 जून 2020 को समाप्त हो गया था. तब से नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न होने के कारण आयोग में शिकायतें तो आ रही हैं, लेकिन उन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है. इसके परिणामस्वरूप, महिलाओं से जुड़े चार हजार से अधिक मामले लंबित पड़े हैं. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर महागठबंधन की सरकार राज्य महिला आयोग के इन खाली पदों को भर क्यों नहीं रही है?

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने यह कहकर चौंका दिया कि झामुमो के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार महिला आयोग के अध्यक्ष पद के लिए किसी योग्य महिला की तलाश कर रही है. इस बयान के बाद यह सवाल उठता है कि क्या पिछले छह वर्षों से भी अधिक समय में झामुमो की यह तलाश पूरी नहीं है

दरअसल, झारखंड की महागठबंधन सरकार में बोर्ड, निगमों और आयोगों का जो बंटवारा हुआ है, उसके तहत 'महिला आयोग' झामुमो के कोटे में और 'समाज कल्याण बोर्ड' कांग्रेस के कोटे में गया है. इस संबंध में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और



वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर का कहना है कि केंद्र सरकार ने समाज कल्याण बोर्ड को ही समाप्त कर दिया है, जबकि 'राज्य महिला आयोग' सहयोगी दल झामुमो के कोटे में है. अब वे इन पदों को क्यों नहीं भर रहे हैं, इसका जवाब झामुमो के नेता ही दे सकते हैं

'झारखंड राज्य महिला आयोग' झामुमो के कोटे में होने के बावजूद पिछले छह वर्षों से निष्क्रिय क्यों है? इस सवाल पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि महिला आयोग जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार की तलाश की जा रही थी. उन्होंने उम्मीद जताई कि त्योहारों के इस सीजन के बाद महिला आयोग के अध्यक्ष सहित सभी रिक्त पदों को भर दिया जाएगा

झारखंड राज्य महिला आयोग में महिला उत्पीड़न के कई गंभीर मामले लंबे समय से फाइलों में दबे पड़े हैं. इसके अलावा घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, संपत्ति विवाद और महिलाओं से जुड़ी अन्य सामाजिक समस्याओं से संबंधित 4000 से अधिक मामले लंबित हैं. साल 2020 से ही नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकी है, जिसका सीधा और नकारात्मक असर आयोग के कामकाज पर पड़ रहा है.

झारखंड राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष (चेयरपर्सन) लक्ष्मी सिंह बनी थीं, जिनका कार्यकाल 18 सितंबर 2006 से 17 सितंबर 2009 तक रहा. इसके बाद डॉ. हेमलता एस. मोहन (7 सितंबर 2010 से 6 सितंबर 2013), डॉ. महुआ माजी (11 नवंबर 2013 से 10 नवंबर 2016) और कल्याणी शरण (7 जून 2017 से 6 जून 2020) ने आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली.

गौरतलब है कि झारखंड राज्य महिला आयोग का गठन वर्ष 2005 में किया गया था. इससे संबंधित विधेयक को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित कर अधिनियम बनाया गया और फिर आयोग का गठन हुआ. हालांकि, महिलाओं को न्याय और अधिकार दिलाने का दावा करने वाले लगभग सभी राजनीतिक दलों की सरकारों में इस महिला आयोग को लेकर गंभीरता की कमी साफ दिखाई देती रही।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023